खण्ड-423, अंक-1
मंगलवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1920
(24 मार्च, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1998)

खण्ड 423 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद् नेता, विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-ट
उपस्थित सदस्य	ड
राष्ट्रीय गीत	1
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 को वापस लिये जाने की मांग (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	2—5
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम चरन शाह, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री राज किशोर सिंह तथा धर्मवीर सिंह के निधन पर शोकोद्गार	5–11
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ...	11
प्रदेश की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश, 1998 के माध्यम में से नकल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	11–25
वित्तीय वर्ष 1997-98 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (प्रस्तुत किया गया)	25–26
प्रदेश की हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश, 1998 के माध्यम से नकल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	26–30
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
बस्ती जनपद में कलेक्शन चार्ज शुगर मिलों से न लेकर गन्ना किसानों से लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
आवास विकास परिषद् मेरठ द्वारा बनाई गई स्कीम नं० 10 कालोनी में व्याप्त गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31–32
मथुरा के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जौनपुर में रबी की फसल ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद फतेहपुर स्थित ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा, विकास खण्ड विजयीपुर में जूनियर हाईस्कूल की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद आजमगढ़ स्थित उपविद्युत केन्द्र कम्हरिया पर 3 एम० वी० ए० के स्थान पर 5 एम० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सुल्तानपुर स्थित ग्राम दरियापुर परगना मोरानपुर स्थित गाटा संख्या 588 पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33–34
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	34
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	34
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की दशम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1983-84 (सदन के पटल पर रखा गया)	34
राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर	34
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	37
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	37–38
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित)	38
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित) ...	38

विषय	पृष्ठ-संख्या
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 को वापस लिये जाने की मांग (जारी)	39
वित्तीय वर्ष 1997-98 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात् प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	41
अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	41
अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत) ...	41
अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	42
अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	42
अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	42
अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	42
अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	43
अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	43
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 को वापस लिये जाने की मांग	43–44
वित्तीय वर्ष 1997-98 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 22–खेल विभाग, क्रमागत (स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	45
अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	45
अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	46
अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ...	46
अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	48
अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	48
अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...	49

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	...	49
अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	...	49
अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	...	49
अनुदान संख्या–60 वन विभाग (स्वीकृत)	...	49
अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा , अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	...	50
अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...	...	50
अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ...	...	50
अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...	...	50
अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	...	51
अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	...	51
अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) स्वीकृत) ...	...	51
अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ...	...	51
अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...	...	52
अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत) ...	...	52
अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (स्वीकृत) ...	...	52
अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत)	...	52
अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	...	53
अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	...	53
अनुदान संख्या–95 उत्तराखण्ड विकास विभाग (स्वीकृत) ...	...	53
उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 (पारित)...		53–58
वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये अन्तरिम आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	...	58–59
वित्तीय वर्ष 1998-99 के एक भाग के लिये लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया)	...	60
बारहवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने पर विधान सभा के सदस्य श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री ओम प्रकाश, सुश्री मायावती, श्री मित्रसेन यादव, श्री पारस नाथ यादव तथा श्रीमती ओमवती द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने की सूचना ...	...	60
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	... ...	60–62

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अतुल कुमार, श्री	मेरठ
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बरीष कुमार, श्री	हरिद्वार
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरिमर्दन सिंह, श्री	महोबा
अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक कुमार, श्री	जौनपुर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आर० के० सिंह पटेल	बांदा
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
इन्द्रदेव, श्री	बिजनौर
इल्म सिंह, श्री	सहारनपुर
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार, श्री	एटा
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	एटा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री	पिथौरागढ़
कृष्णा राज, श्रीमती	खीरी
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
केशव मेहरा, श्री	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	फर्रुखाबाद
कोकब हमीद, श्री	मेरठ
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
डा० कौशल किशोर, श्री	खीरी
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गंगा सिंह चौहान, श्री	हरदोई
गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	मेरठ
गणेश, श्री	गाजीपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
गोमती यादव, श्री	लखनऊ
गोरखनाथ पाण्डेय, श्री	भदोही
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री	लखनऊ
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
छोटे लाल वर्मा डा०, श्री	महोबा
छोटे लाल, श्री	हरदोई
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगत पाल सिंह, मेजर	मुरादाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जटा शंकर, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जय प्रकाश, श्री	गाजियाबाद
जय प्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
ज्ञानवती, श्रीमती	अलीगढ़
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर
तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
तेजभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
तोताराम, श्री	मुरादाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
ददू प्रसाद, श्री	बांदा
दयाशंकर, श्री	जालौन
दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप लाल भारतीय, श्री	पडरौना
दुर्गा प्रसाद, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नन्दराम, श्री	बरेली
नरेन्द्र, श्री	आजमगढ़
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री	गाजियाबाद

नरश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गाजियाबाद
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
नेतराम सिंह, श्री	एटा
पटेल राम कुमार वर्मा	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परवेज हलीम खां, श्री	मेरठ
पीटर फैन्थम्	नाम निर्देशित सदस्य
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी पंकज, श्री	भदोही
प्रदीप कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रभु नारायन, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम प्रकाश सिंह यादव, श्री	देवरिया
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरीद महफूज किदवाई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बचनूराम पटेल, श्री	वाराणसी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ
बांके लाल सोनकर, श्री	जौनपुर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम, श्री	जालौन
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू लाल, श्री	आगरा
बाबू लाल, श्री	उन्नाव
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बावन सिंह, श्री	गोण्डा
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
बिन्दु लाल, श्री	गोण्डा
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
बेचन राम, श्री	गोरखपुर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
भरत सिंह, श्री	बलिया
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
भीम प्रसाद, श्री	अम्बेडकर नगर
भोनू, श्री	गाजीपुर
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मंजू, श्रीमती	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मलखान सिंह, श्री	अलीगढ़
मस्तराम, श्री	उन्नाव
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र कुमार, श्री	सीतापुर
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
मायावती, सुश्री	खीरी
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	एटा
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ

मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
मुहर सिंह अम्बाडी, श्री	इटावा
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
मोती लाल, श्री	खीरी
मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवंत, श्री	आजमगढ़
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेन्द्र सिंह, श्री	देवरिया
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
रघुनाथ सिंह चौहान, श्री	अल्मोड़ा
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
रमेश राही, श्री	सीतापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
राजधारी, श्री	बलिया
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजा गजफ्फर अली खां, श्री	बिजनौर
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
रामजग, श्री	आजमगढ़
रामतेज यादव, एडवोकेट	बहराइच
रामदेव वैश्य आचार्य, श्री	बाराबंकी
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामपाल सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्यारे, श्री	आजमगढ़
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, श्री	आगरा
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती

राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सखी, श्रीमती	अलीगढ़
राम सिंह, डा०	अलीगढ़
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
रामेश्वर दयाल वाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
रूप चौधरी, श्री	मेरठ
रेवती रमन सिंह	
उर्फ "मणी", कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाखी राम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लाल सिंह वर्मा, श्री	इटावा
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद मणि, श्री	महराजगंज
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशन सिंह चुफाल, श्री	पिथौरागढ़
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
विश्वनाथ, श्री	पडरौना
वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस० डा०	बिजनौर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव शंकर, श्री	बांदा
शिव सिंह चक, श्री	फिरोजाबाद
शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम देव राय चौधरी, (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
श्रीराम, श्री	जालौन

श्रीराम, श्री	मऊ
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सन्त, श्री	गोरखपुर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
समर पाल सिंह, श्री	मेरठ
सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरवर अली खां,श्री	बाराबंकी
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री	सहारनपुर
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
सुरेन्द्र नाथ, श्री	बाराबंकी
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बरेली
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सूर्य भान, श्री	सुल्तानपुर
सौलत अली, श्री	मुरादाबाद
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरि शंकर माहौर, श्री	अलीगढ़
हरीश चन्द्र गंगवार, श्री	बरेली
हरीश चन्द्र "हरीश जी" श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी अहमद कुरैशी

मंत्रि-परिषद्

1–श्री कल्याण सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, प्रोटोकाल, संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक उद्यम ।
2–श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, पर्यटन
3–श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4–श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास
5–श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण
6–श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
7–श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा
9–श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
10–श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11–श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण
12–श्री रघुवर दयाल वर्मा	वन
13–डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
14–श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15–श्री राम कुमार वर्मा	सहकारिता
16–श्रीमती प्रेमलता कटियार	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
17–श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम
18–श्री सरदार सिंह	वस्त्र उद्योग
19–श्री राधेश्याम गुप्ता	संस्थागत वित्त
20–श्री बाबू राम, एम०काम०	लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन
21–श्री हुकुम सिंह	पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य
22–श्री ऐजाज रिज़वी	खाद्य एवं रसद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

23–श्री शिव प्रताप शुक्ल	कारागार
24–श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
25–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
26–श्री हरिशंकर तिवारी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
27–श्री मण्डलेश्वर सिंह	क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास
28–श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स
29–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"	उत्तरांचल विकास
30–श्री चौधरी लक्ष्मीनारायण	उद्यान
31–श्री श्याम सुन्दर शर्मा	खेलकूद, युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल
32–श्री शिवाकान्त ओझा	चिकित्सा शिक्षा
33–श्री सरस्वती प्रताप सिंह	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा
34–श्री फागू चौहान	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
35–श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
36–श्री राजा रघुराज प्रताप सिंह	कार्यक्रम कार्यान्वयन
37–श्री जय नारायण तिवारी	कार्य विभाग के आवंटन की सूचना शासन से प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1–श्री सुन्दर सिंह बघेल	दुग्ध विकास
2–श्री रवीन्द्र शुक्ल	बेसिक शिक्षा
3–श्री गोरख प्रसाद निषाद	पशुधन
4–श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे	नियोजन
5–श्री धर्मपाल सिंह	पंचायती राज
6–श्री जयपाल सिंह	बाढ़ नियंत्रण
7–श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
8–श्री अशोक यादव	अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास
9–श्री राधेश्याम कोरी	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन
10–श्री राजा गजनफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज

राज्य मंत्री

1–श्री बालेश्वर त्यागी	वित्त
2–श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
3–श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
4–श्री लल्लू सिंह चौहान	पर्यटन
5–श्री सुरेश खन्ना	आवास
6–श्री सतीश महाना	नगर विकास
7–श्री धनराज यादव	सिंचाई
8–श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
9–श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
10–श्री राम आसरे कुशवाहा	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
11–श्री रंगनाथ मिश्र	ऊर्जा
12–श्री भगवान सिंह शाक्य	कृषि
13–श्री वीरेन्द्र सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
14–श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
15–श्री यशवन्त सिंह	प्राविधिक शिक्षा
16–श्री शिवेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
17–श्री बंश नारायण सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
18–श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
19–डा० अरविन्द कुमार जैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
20–श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई
21–श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा
22–श्री विक्रमाजीत मौर्य	आबकारी
23–श्री रामचन्द्र बाल्मीकि	सहकारिता
24–श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण
25–श्री प्रेम प्रकाश सिंह	वस्त्रोद्योग
26–श्री बहोरन लाल मौर्य	संस्थागत वित्त
27–श्री बिहारी लाल आर्य	लघु उद्योग
28–श्री राकेश त्यागी	पंजीयन
29–श्री हरि नारायण राजभर	कारागार

30–श्री विवेक कुमार सिंह	पर्यावरण
31–श्री रामपाल राजवंशी	अतिरिक्त ऊर्जा
32–श्री शिव शंकर सिंह	राजस्व
33–श्री सतीश शर्मा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
34–श्री संग्राम सिंह	क्षेत्रीय विकास
35–श्री श्रीराम सोनकर	राष्ट्रीय एकीकरण
36–श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तरांचल विकास
37–श्री बंशीधर भगत	उत्तरांचल विकास
38–श्री नारायण रामदास	उत्तरांचल विकास
39–श्री दलवीर सिंह	खेलकूद
40–श्री अमर मणि त्रिपाठी	युवा कल्याण
41–श्री गंगा बख्श सिंह	चिकित्सा शिक्षा
42–श्री विनय पाण्डेय	होमगार्ड्स
43–श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	संस्कृति
44–श्री रामलखन पासी	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
45–श्री मुन्ना लाल मौर्य	
46–श्री वेद प्रकाश	
47–श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	कार्य विभाग के आवंटन की सूचना शासन से प्राप्त नहीं हुई है।
48–श्री शिव गणेश लोधी	

नेता विरोधी दल
श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त.....

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

अधिष्ठता मण्डल के सदस्यों की सूची

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर)

2–श्री सत्य प्रकाश विकल, सदस्य, विधान सभा (आगरा)

3–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर-नगर)

4–श्री निर्भय पाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

5–श्री केदार सिंह फोनिया, सदस्य, विधान सभा (चमोली)

6–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर)

7–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई)

8–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून)

9–श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ)

10–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बाबू लाल, श्री	आगरा
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	महेन्द्र अरिदमन सिह, राजा	आगरा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	महेन्द्र कुमार, श्री	सीतापुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	लाल जी टण्डन, श्री	लखनऊ
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	वीरेनद्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
फागू, श्री	मऊ	शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
बचनूराम पटेल, श्री	वाराणसी	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया	हरिनारायण, श्री	बलिया
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 3 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में विपक्ष के सदस्यों द्वारा गैलरी में धरना दिये जाने से तीन मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों को स्वागत करता हूं । आज की कार्यवाही "वन्देमातरम्" से प्रारम्भ करता हूं ।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

सुजलाम् ।

सुफलाम् ॥

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 को वापस लिये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

जो नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया गया है, उससे समस्त छात्रों में असंतोष है और .....

(श्री उमाकान्त यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव तथा श्री अम्बिका चौधरी आदि कई सदस्यों ने मेजों पर खड़े होकर "नकल विरोधी अध्यादेश वापस करो, वापस करो" का बैनर दिखाया कुछ सदस्यों ने नकल विरोधी अध्यादेश को फाड़कर फेंका जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 12 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग

*1—श्री छब्बू पटेल

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ष 1990-91 से चलाये जा रहे पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

क्योंकि प्रत्येक सेवायोजक अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं ही विभिन्न पदों के लिये आवश्यक योग्यता का विनिश्चय करते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के प्रश्न]

जनपद सुल्तानपुर में स्थित मान्यता प्राप्त आनन्द निकेतन विद्यालय के स्थायी महिला अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के शासकीय वेतन नीति के तहत वेतन दिये जाने की मांग

1—श्री अरविन्द गिरि–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आनन्द निकेतन विद्यालय, सिविल लाइन, सुल्तानपुर मुख्यालय पर स्थित होने के साथ ही वर्ष 1967 से मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या वहां की स्थायी महिला अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को शासकीय वेतन के नीति के तहत वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

जी हां।

जी नहीं।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 20-7-95 के कारण सम्भव नहीं है।

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

बहुधन्धी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोनीहत, जौनपुर में नियुक्त परिचालक श्री राम कृपाल गौड़ एवं श्री दिवाकर सिंह का रोके गये वेतन प्रकरण की सम्यक् जांच

2—श्री महाराज सिंह यादव

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री राम कृपाल गौड़ एवं श्री दिवाकर सिंह की नियुक्ति परिचालक के पद पर दिसम्बर, 92 में बहुधन्धी उच्चतर मा० विद्यालय, सोनीहत, जौनपुर में हुई थी ? यदि हां, तो क्या इन दोनों कर्मचारियों को अब तक मात्र तीन महीने मई, जून, जुलाई, 95 का ही वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो शेष अब तक का वेतन किस अधिकारी के आदेश से रोका गया है ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? शेष बकाया वेतन का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी हां ।

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा वेतन रोका गया है । प्रकरण में सम्यक जांच हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । जांच अधिकारी से जांच आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन श्रेणीवार आवंटित एवं रिक्त आवासों का विवरण

3—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने आवास आवंटित हैं और कितने खाली है ? आवंटित आवासों में कितने सामान्य, पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित हैं ? क्या आवास के आवंटन में आरक्षण के रोस्टर का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के कुल 5568 आवास आवंटित हैं एवं 7 आवास रिक्त हैं ।

कुल आवंटित 5568 आवासों में से कुल कुल 5009 के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार सामान्य/पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नवत् आवास आवंटित हैं:—

क–सामान्य श्रेणी	3,369
ख–पिछड़े वर्ग की श्रेणी	834
ग–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	760
घ–कार्यालय आदि के लिए	46
कुल योग	5,009

आवास आवंटन नियमावली में यद्यपि आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है, तथापि आवासों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षण विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–बी-510/का–2/1995, दिनांक 29 सितम्बर, 1995 का यथासम्भव अनुपालन हो रहा है ।

जनपद एटा के विकास खण्ड कासगंज के ग्राम मामूरंज से विकास खण्ड मारहरा ग्राम हसनपुर में प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण का प्रकरण

4—श्री नेतराम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के विकास खण्ड कासगंज के ग्राम मामूरंज ग्राम सभा मोहनी में दिनांक 22-2-95 को मुस्लिम बाहुल्य कोटे में स्वीकृत प्रथम विद्यालय प्राइमरी पाठशाला दिनांक 18-10-96 को गाटा संख्या 1769/10 डेसीमल पर विद्यालय भवन निर्माण के आदेश हुए थे ? क्या यह कार्य प्रारम्भ हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त आदेश को रोककर अब विकास खण्ड मारहरा तहसील एटा के ग्राम हसनपुर के गाटा संख्या 89 पर निर्माण के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो ग्राम सभा अथवा विकास क्षेत्र बदलने का क्या कारण है ? इन दोनों भवनों पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ है ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां । जनपद स्तर पर गाटा संख्या–1769/10 डेसीमल पर विद्यालय भवन निर्माण के आदेश निर्गत किये गये थे ।

जी हां ।

संबंधित ग्राम सभा के चयनित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर फर्जी एवं जाली हस्ताक्षरों की शिकायत की गयी थी । जांच में सत्यता पाये जाने के आधार पर गाटा सं० 1769 से सटा हुआ गाटा संख्या 89 पर निर्माण कार्य कराया गया ।

गाटा सं० 1769 पर 6000/- तथा गाटा सं० 89 पर 1,21,500/- व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड में प्राथमिक विद्यालयों एवं अध्यापकों की संख्या, वार्षिक वेतन व्यय और छात्रों की कुल संख्या तथा प्रति छात्र वार्षिक व्यय की जानकारी

5—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा इन विद्यालयों में कितने अध्यापक नियुक्त हैं ? उन पर प्रति वर्ष कुल वेतन व्यय कितना है ? विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है और प्रति छात्र प्रतिवर्ष कितना खर्च हो रहा है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

उत्तराखण्ड के 12 जनपदों में कुल 2928 प्राथमिक विद्यालय तथा 1672 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में 21,928 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 7,414 अध्यापक नियुक्त हैं ।

वर्ष 1996-97 में वेतन मद में रु० 1,32,97,62,440/- व्यय किया गया है ।

प्राथमिक विद्यालयों में 8.69 लाख तथा उच्च प्राथमिक में 3.93 लाख छात्र संख्या है ।

प्रति छात्र प्रति वर्ष प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक में रुपया 1053.59 व्यय हो रहा है ।

जनपद गोण्डा जिले के ब्लाक हलधरमऊ अन्तर्गत प्राइमरी विद्यालय कैथौला का भवन निर्माण कार्य पूरा न होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

6—श्री बावन सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा जिले के ब्लाक हलधरमऊ के प्राइमरी विद्यालय कैथौला के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1995-96 में धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धन आहरित कर लिया गया परन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां । भवन निर्माण हेतु धनराशि रुपये 1,35,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

जी हां, स्वीकृत धनराशि में से विद्यालय भवन का निर्माण कार्य लिन्टर स्तर तक पूर्ण करा लिया गया है ।

आहरित धनराशि का पूरा उपयोग न करने एवं निर्माण कार्य में टाल-मटोल करने के कारण संबंधित प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है तथा भवन निर्माण को पूरा कराने हेतु नये प्रधानाध्यापक की तैनाती की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षण नीति की व्यवस्था

7—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था ? यदि हां, तो क्या इस आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम चरन शाह, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री राज किशोर सिंह तथा श्री धर्मवीर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों जो मेरा सहयोग दे रहे हैं, सभी का बहुत आभारी हूं । इस स्थगन के बाद जो कार्यवाही प्रस्तावित है । अभी हम निधन के निर्देश लेंगे उसके पश्चात् शून्य प्रहर में नियम–311 की जो सूचनायें आयी हैं वह लेंगे । 1.45 तक वह कार्य सम्पन्न करेंगे । 1.45 से यह कार्य सूची में जो औपचारिक और शेष कार्य हैं उसको प्रारम्भ करेंगे । मैं मद संख्या 4 ले रहा हूं ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मुझे यह सदन को सूचित करते हुए गहरा दुख हो रहा है कि इस बीच हमारे इस सदन के चार माननीय सदस्यों का निधन हो गया है और यह चारों के चारों ऐसे सदस्य रहे हैं कि जिन्होंने इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन में अपनी उपस्थिति से महत्वपूर्ण योगदान दिया । सामाजिक सेवा में इनका सराहनीय योगदान रहा है । इनमें से कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर भाग लिया है । श्रीमन्, श्री राम चरन शाह जिनका निधन 1 नवम्बर, 1997 को हो गया है इनका जन्म 19 जनवरी, 1929 को हुआ था । वह इस सदन के 1962 से 1974 में जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित हुए थे । 1977 में जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर आये थे । वे एक कुशल वक्ता और जुझारू नेता थे। धरती से जुड़े कार्यकर्ता थे । आम आदमी की जिन्दगी की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया । उनके उठ जाने से जनपद लखीमपुर खीरी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । श्रीमन्, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति दे । आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे तथा मेरे दल तथा सम्पूर्ण सदन की शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार को पहुंचाने की कृपा करें । श्रीमन्, श्री राम किशोर शुक्ल का निधन 17 नवम्बर, 1997 को हो गया है । इनका जन्म 1924 में इलाहाबाद में हुआ था । 1969में कांग्रेस के टिकट से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । 1942 के आजादी के आन्दोलन में, भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल भी गये थे ।

कांग्रेस पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे । सहकारी, सरकारी, सामाजिक, शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े थे । उनके निधन से इलाहाबाद जनपद ने एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । श्रीमन्, मेरे व मेरे दल की ओर से और पूरे सदन की ओर से शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । मान्यवर, श्री राज किशोर सिंह जी का निधन 23 नवम्बर, 1997 को 78 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त हो गया । इनका जन्म 19 दिसम्बर, 1919 में जनपद वाराणसी में हुआ था । 1985 और 1989 में वे इस सदन के सदस्य रहे । स्वतन्त्रता संग्राम और अन्य जन आन्दोलनों में कई बार जेल भी गये । वे किसान सभा के सदस्य रहे । कई शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े रहे । विधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सम्मानित सदस्य रहे । इनके निधन से जनपद वाराणसी ने कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी खो दिया है । वे जब इस सदन में अपनी बात रखते थे तो बड़ी शालीनता से तथ्यों के साथ रखते थे । उनके उठ जाने से न केवल एक जिले का नुकसान हुआ है बल्कि मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के उठ जाने से प्रदेश की राजनीति में शून्यता पैदा हुई है । श्रीमन्, श्री धर्मवीर सिंह का निधन 2 फरवरी, 1998 को हो गया है । इनका जन्म 1928 में जिला बिजनौर में हुआ था । 1974 तथा 1977 में वे सदस्य निर्वाचित हुए थे । स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही राजनीति में रुचि लेनी शुरू की थी । कई सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े रहे । वे धरती के नेता थे । उनके निधन से बिजनौर जनपद ने निःस्वार्थ समाजसेवी व कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । हमारी यह संवेदनायें इन सभी शोकाकुल परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, मैं माननीय नेता सदन के विचारों से अपने विचारों को सम्बद्ध करते हुए आगे की कड़ी में कहना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है कि हमारे इस परिवार के चार भूतपूर्व सदस्य अब हमारे बीच में नहीं हैं । श्रीमन् यह चारों सदस्य अपनी अलग-अलग प्रतिभा के लिए एक विशेष स्थान रखते थे । श्री रामचरन शाह जी ने सहकारिता के क्षेत्र में बहुत से कार्य करके क्षेत्र की जनता व समाज के लिये बहुत योगदान दिया । शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहकर, शिक्षण संस्थाओं को खुलवाकर, उनको आगे बढ़ाकर शिक्षा जगत में सराहनीय योगदान दिया । वह जब इस सदन के सदस्य रहे तो इस सदन में रहकर क्षेत्रीय और प्रदेशीय समस्याओं को बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते थे, ताकि प्रदेश की जनता खुशहाली की ओर बढ़े और उनकी समस्याओं का निराकरण हो । हमारी और हमारे दल की ओर से,

इस सदन के समस्त साथियों की ओर से उनके परिवार जनों तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, इसी तरह से हमारे दूसरे माननीय सदस्य राम किशोर शुक्ल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आन्दोलन में गये और बहुत से स्वतंत्रता से संबंधित आन्दोलनों में बढ़चढ़कर हिस्सा इन्होंने लिया। कई विद्यालयों से इनका संबंध रहा शिक्षा जगत में इनका काफी योगदान रहा। इस माननीय सदन के सदस्य रहकर उन तमाम ज्वलन्त समस्याओं को यहां रखकर अपने क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के लिये बहुत योगदान किया हमारी तथा हमारे दल की और हमारे समस्त विधान सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, इसी तरह से हमारे तीसरे माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह जी जो वाराणसी के रहने वाले थे वह भी हमसे विदा हो गये। उनका योगदान सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। बहुत सी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहकर उन्होंने शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया और देश को आजाद कराये जाने के लिये अपनी सुख सुविधा को त्यागकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। इस माननीय सदन के सदस्य रहते हुए भी उन्होंने क्षेत्र और प्रदेश के बहुत से मूल सवालों और उस समय जिनकी आवश्यकता थी, उनको सदन में रखा और जनता को राहत दिलाने की सदैव कोशिश की। चौथे हमारे माननीय सदस्य जो हमारे बीच नहीं हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जो बिजनौर के निवासी थे वह इस माननीय सदन के दो बार सदस्य रहे और उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। समाज सेवा की ओर इस सदन में रहकर भी उन्होंने देश, प्रदेश और क्षेत्र की बहुत सराहनीय सेवाएं की। मेरा दल और मैं हमारे विधान सभा के समस्त सदस्यों की ओर से इनके परिवारजनों तक हमारी शोक संवेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आज हम इस सदन के सम्मानित नेता रहे श्री राम चरन शाह जो लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे और इस सम्मानित सदन के तीन बार माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर 1962, 74, 77 में आये अपनी बातों को यहां पर रखते हुए अच्छा कार्य किया साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे और इसी के साथ ही साथ कई बार अनेकों लड़ाइयों में जेल यात्राएं भी कीं। विभिन्न पदों पर रहे जिनका निधन 1-11-97 को हुआ। हम अपनी पार्टी की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कृपया उनके परिवार तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

इसी क्रम में श्री राम किशोर शुक्ला जी जो इलाहाबाद के रहने वाले थे, 1969 में विधान सभा के सम्मानित सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आये थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और प्रबन्धक के रूप में शिक्षा जगत में अच्छे कार्य किये। उनके किये गये कार्यों को इलाहाबाद में आज भी याद किया जाता है। जिनका निधन दिनांक 17-11-97 को एक स्कूटर दुर्घटना के तहत हुआ। वह हमारे बीच नहीं रहे। हम अपनी पार्टी के सम्मानित सदस्यों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कृपया उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी क्रम में हमारे बीच के सम्मानित साथी श्री राज किशोर सिंह जी, जो वाराणसी जिले के रहने वाले थे, वह सन् 1985 एवं 1989 में इस सम्मानित विधान सभा के सदस्य के

---

* अनुवाद से प्राप्त — सम्पादित नहीं किया।

रूप में निर्वाचित होकर आये थे, बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के थे, गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई को लेकर के उन्होंने कई बार संघर्ष किया था, जेल यी यात्राएं की थी। उनके सामने जो भी जन समस्यायें आती थी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसके खिलाफ आन्दोलन खड़ा करते थे। ऐसे जुझारू साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे। दिनांक 23-11-97 को हमारे सम्मानित साथी श्री सिंह जी का निधन हो गया। श्री सिंह जी, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं आन्दोलनों से जुड़े रहे। हम उनके प्रति अपने सम्मानित सदस्यों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कृपया हमारी भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी क्रम में चौथे साथी श्री धर्मवीर सिह जी, जो बिजनौर जनपद से सन् 1974 एवं 1977 में निर्वाचित हो करके इस विधान सभा की शोभा बढ़ाने का काम किया था और सम्मानित सदस्य के रूप में उन्होंने प्रदेश की सेवा की थी, आन्दोलनों के माध्यम से अपनी बात को मुखरित किया था। उन्होंने सर्वाधिक कार्य शिक्षा जगत में किया था। हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं डिग्री कालेजेज के संस्थापक अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण किया किया। हमारे ऐसे साथी जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी समाज सेवा में लगाने का काम किया था, उनको अपनी पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कृपया हमारी शोक संवेदना को, शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम चरन शाह, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री राज किशोर सिंह, श्री धर्मवीर सिंह के निधन के संबंध में जो उद्‌गार इस सदन के माननीय नेता सदन तथा अन्य नेतागणों ने प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री राम चरन शाह लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले थे। वह वर्ष 1962 में, 1974 तथा 1977 में चुनकर इस विधान सभा में आये। श्री शाह इस सदन के एक अत्यन्त सम्मानित सदस्य थे, वह एक कुशल वक्ता थे, उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचा दी जायें।

मान्यवर, श्री राम किशोर शुक्ल जी जनपद इलाहाबाद के रहने वाले थे। उनको मैं अत्यन्त निकट से जानता था। वह एक बार इस आदरणीय सदन में 1969 में चुनकर आये थे। वह इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। उनके निधन से सहकारिता जगत में एक अच्छे सहकारी सेवक का अभाव हो गया है। इलाहाबाद के सहकारी क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था। वह क्षेत्र के गरीब तबकों के लोगों के लिये निरन्तर जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बहुमूल्य सुझाव दिया करते थे, उनके निधन से सहकारिता जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है। आपसे अनुरोध है कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचा दी जायें।

मान्यवर, श्री राज किशोर सिंह जी इस सदन के दो बार सदस्य रहे। पहली बार वह 1985 में और उसके बाद 1989 में चुनकर इस सदन में आये। मैं बहुत नजदीक से उनको जानता था। वह हमेशा रचनात्मक और ठोस सुझाव दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में स्वतंत्रता आन्दोलन तथा अन्य जन आन्दोलनों में हिस्सा लिया और जेल भी गये। उनके निधन से एक कुशल समाजसेवा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अन्त हो गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री धर्मवीर सिंह जी इस सदन के एक ओजस्वी वक्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सदैव इस सदन में कमजोर तबकों के लिये अपने रचनात्मक सुझाव दिये। वह ऐसे सुझावों द्वारा अनेक अवसरों पर सदन को विवश किया करते थे, सभी पक्ष और विपक्ष के लोग उनको समान रूप से आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनके सुझावों की वजह से अनेक बार उनके संशोधन को यहां स्वीकार किया गया। उनके निधन से इस सदन की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें, उनके शोक संतप्त परिवारजनों तक भेजने की कृपा करें।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, इस सदन के चार भूतपूर्व माननीय सदस्य स्व० श्री राम चरन शाह, स्व० श्री राम किशोर शुक्ल, स्व० श्री राज किशोर सिंह एवं स्व० श्री धर्मवीर सिंह के प्रति जो शोक संवेदना माननीय नेता सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, ने व्यक्त किये हैं हम अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हैं। श्रीमन्, श्री राम चरन शाह हमारे पड़ोस के जनपद लखीमपुर के रहने वाले थे। मेरी कई बार उनसे भेंट हुई वह एक महान विचारक थे।

श्री राज किशोर सिंह जी, वह हमारे साथ इस सदन के सदस्य भी रहे हैं, वह ओजस्वी वक्ता रहे हैं। मान्यवर, इन 4 भूतपूर्व माननीय सदस्यों ने इस प्रदेश को नई दिशा दी है। उनके विचार आज प्रदेश को लाभान्वित कर रहे हैं। उनके निधन से न केवल उस जनपद को हानि हुई है बल्कि पूरे प्रदेश की हानि हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रकृति का नियम है कि जो इस लोक में आता है उसे जाना ही होता है। बहुत सी ऐसी शख्सियत होती है जो अपनी दक्षता और कार्यक्षमता से समाज को न केवल नई दिशा देते हैं बल्कि देश की सेवा भी करते हैं। आज जो यह 4 सदस्य किसी न किसी समय इस गौरवशाली सदन के सदस्य रहे हैं और उन्होंने समाज और देश की सेवा की है उनके लिए जो विचार माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष ने रखे हैं उनसे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और विशेष रूप से उल्लेख करता हूं श्री शाह साहब का, जिन्होंने निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। आदरणीय स्व० राम किशोर शुक्ल जी जो कांग्रेस के सदस्य रहे और सहकारिता आन्दोलन के एक प्रकार से नायक थे। उन्होंने सहकारिता आन्दोलन की सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि सभी जनपदों में एक नई दिशा दी, एक नया विचार दिया।

श्री राज किशोर सिंह जी कम्युनिस्ट मूवमेन्ट के नायक थे वह दो बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे। वह एक ईमानदार, प्रतिभा सम्पन्न और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्तित्व थे। इसी प्रकार चौधरी साहब बिजनौर जिले में गन्ना किसानों के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे। मैं इन 4 भूतपूर्व सदस्यों के परिवारजनों के प्रति अपनी और अपने दल की संवेदना प्रकट करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके परिवार तक मेरी और मेरे दल की शोक सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, स्व० श्री राम चरन शाह, स्व० श्री राम किशोर शुक्ल, स्व० श्री राज किशोर सिंह एवं स्व० श्री धर्मवीर सिंह ये 4 महान आत्मायें, जो इस सदन के मेम्बर रहे हैं, उनके चले जाने से समाज में एक कमी पैदा हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से उनके परिवार तक शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, मृत्यु के क्रूर हाथों ने इस माननीय सदन के सदस्य रहे श्री राम चरन शाह, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री राज किशोर सिंह एवं श्री धमवीर सिंह जी विगत दिनों हमसे छीन लिया। श्रीराम चरन शाह जी जो 3 बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे, श्री राम किशोर शुक्ल जी जो इस सदन के एक बार सदस्य रहे। श्री राज किशोर सिंह जी जो दो बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा स्वतन्त्रता संग्राम में जिनकी अग्रणी भूमिका रही, का निधन 17-11-97 को हो गया । इसी तरह श्री धर्मवीर सिंह जी दो बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे । इन दिवंगत आत्माओं के मामले में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष एवं अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये उनके विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी और हमारी पार्टी की ओर से शोक संवेदनायें शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, हमारे सदन के पूर्व सदस्यों श्री राम चरन शाह, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री राज किशोर सिंह एवं श्री धर्मवीर सिंह जी के निधन से उत्तर प्रदेश के राजनैतिक इतिहास में एक अपूर्णनीय क्षति हुई है । मान्यवर, मैं इन चारों स्वर्गीय नेताओं में से राज किशोर सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था, वे कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रणी नेताओं में से थे, स्वतन्त्रता आन्दोलन में वे अग्रणी थे वे कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद् के मेम्बर थे और किसानों के आन्दोलन में एक अग्रणी नेता के रूप में भूमिका निभाते रहे ।

एक सदस्य–

कृपया माईक पर बोलें, आवाज नहीं सुनाई दे रही है ।

श्री राम जग–

कामरेड राज किशोर सिंह जी मार्क्सवादी और लेनिनवादी के अग्रणी नेता रहे हैं । कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने किसानों मजदूरों की सेवा की । जो कम्युनिस्ट मूवमेन्ट है उ० प्र० का उसमें कामरेड राज किशोर सिंह जी जैसे नेताओं की आवश्यकता है, वे हमारे बीच से चले गये । मान्यवर, कामरेड राज किशोर सिंह जी के साथ अन्य तीन सदन के भूतपूर्व नेताओं के संबंध में नेता सदन, नेता विपक्ष, नेता कांग्रेस (आई०), नेता जनता दल, नेता किसान कामगार पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार जन तक भेजने का कष्ट करें ।

(नेता, जनता दल राजाराम पाण्डेय गुट को पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

वे नहीं हैं, माननीय नेता समता पार्टी ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, सदन के भूतपूर्व सदस्यों श्री राम चरन शाह जी, श्री राम किशोर शुक्ल जी, श्री राज किशोर सिंह जी और श्री धमवीर सिंह जी के संबंध में सदन में जो शोकोद्गार मा० नेता सदन व नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन चारों महानुभावों ने अपने-अपने जिलों में अपने-अपने क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व काम किये हैं, किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए संघर्ष करके एक कीर्तिमान स्थापित किया । श्रीमन् मैं राज किशोर सिंह जी और श्री धर्मवीर सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था उनका मेरा बहुत निकट का संबंध रहा है जिस प्रकार से उन्होंने हमारे प्रदेश में सेवा करके जो जन भवना का आदर्श प्रस्तुत किया है उन्हीं आदर्शों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चल करके, इस देश की सेवा करके, प्रेरणा लेते रहेंगे। श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ इन चार महानुभावों के परिवार तक, हमारे दल द्वारा व्यक्त शोक संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य राजनैतिक दलों के माननीय नेतागण ने स्वर्गीय श्री राम चरन शाह, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री राज किशोर सिंह तथा स्वर्गीय श्री ब वीर सिंह जी के बारे में जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं, उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। समाज की संवेदनाओं को अपनी वाणी के माध्यम से इन दिवंगत आत्माओं ने न केवल इस सदन को ही सूचित किया, उनकी आवाज को उठाया वरन् सदन के बाहर भी राजनैतिक क्षेत्र में, शिक्षा सहकारिता के क्षेत्र में, सामाजिक आन्दोलन में अपनी भागीदारी करके अपने सामाजिक और राजनैतिक दायित्वों का भी निर्वहन किया। इस आरणीय सदन में जो संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, मैं उन सभी को दिवंगत आत्माओं के परिवार तक पहुंचा दूंगा। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि दो मिनट मौन खड़े होकर हम इन दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, हमने जो प्रस्ताव दिया है, उस पर आप पहले चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। आप कृपा करके बैठ जाइये।

मुझे नियम–311 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। कुल 8 सूचनायें हैं जो माननीय सदस्यों द्वारा दी गई हैं। कुछ सूचनायें माननीय सदस्यों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सभी को ले लूं। जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया कि एक बजकर पैंतालीस मिनट तक इन सूचनाओं को ले लूंगा इसलिये माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि इतने समय तक 3–4 सूचनायें हो जायं। पहली सूचना सर्वश्री धनीराम वर्मा, अम्बिका चौधरी, रामतेज यादव एडवोकेट, राम प्यारे, प्रभु नारायण सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, गौरी शंकर एडवोकेट, राम सिंह सैनी, डा० कौशल किशोर, भीम प्रसाद सोनकर, मोतीलाल पैलवी, रामेश्वर सिंह, डा० बकार अहमद शाह, सरवर अली खां, श्याम किशोर यादव, नरेन्द्र सिंह भाटी, मुन्ना सिंह चौहान, सौलत अली, अशोक कुमार सिंह, योगेन्द्र कुमार, प्रेमपाल सिंह यादव (एक हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है) की सूचना–प्रदेश की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश, 1998 के माध्यम से नकल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसी संबंध में दूसरी सूचना सर्वश्री समर पाल सिंह, जगदम्बिका पाल, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, पूरन सिंह बुन्देला जी की है। तीसरी सूचना भी इसी संबंध में सर्वश्री स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रमोद कुमार और श्री रामजग जी की है।

प्रदेश की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश, 1998 के माध्यम से नकल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

युवा कल्याण मंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, भारत के इतिहास में यह एक ऐसा सत्र जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलाया गया था । उस सत्र में इस बात का परीक्षण करना था कि यह सरकार बहुमत में है.....

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अमर मणि त्रिपाठी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा आप कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

* श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार मान्यवर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था फैला रही है और इसके मंत्रिगण भी सदन में भी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी, आप कृपया बैठ जायें मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । मुझे विश्वास है कि मैंने जो व्यवस्था दी है आप उसका अनुपालन करके बैठ जायेंगे । मैंने अभी माननीय नेता विरोधी दल को आमंत्रित कर दिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब आपने अपनी व्यवस्था दे दी है तो उसके खिलाफ कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसीलिए उन्हें बैठने के लिए कह दिया है । आप भी कृपया बैठ जायें और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें ।

(व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक बार तो इनके झांसे में आ गया अब दोबारा इनके झांसे में आने वाला नहीं हूं।

श्री अमर मणि त्रिपाठी–

चौबे जी छब्बे बनने गये थे लेकिन दूबे होकर लौटे।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें। मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुला लिया है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मैं माननीय अम्बिका चौधरी जी को पहले बोलने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

(व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शात रहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हम उस प्रश्न में नहीं जाना चाहते हैं जिसका मूल उद्देश्य व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करके इस सदन को अव्यवथित करने का था। जो नियम–311 के अतर्गत सूचना मेरे द्वारा और अन्य विधायकों और माननीय नेता विरोधी दल जी द्वारा दी गयी है वह अति लोक महत्व और तात्कालिक है। मैं चाहूंगा कि इस तात्कालिक प्रश्न पर सदन के समक्ष नियमों को [illegible]म्बित करते हुए इस पर चर्चा करायी जाय। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। मान्यवर, राज्यपाल महोदय को जो विधायी अधिकार दिये गये हैं वह आर्टिकल 213 में दिये हैं। उनके पीछे मंशा है कि सचमुच में कोई स्थिति पैदा हो जाय और इस सदन को जल्दी बुलाने की स्थिति न हो तो ऐसे तात्कालिक समय में अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू किया जाय। श्रीमन्, 18 तारीख को यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और आज 24 मार्च को यह सदन बुला लिया गया था, जिसकी इसके पूर्व सूचना हो गयी थी। लेकिन इसके बावजूद इस अध्यादेश को लाये जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी चूंकि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गयी है, इसलिए एक आतंक का माहौल बनाने की योजना सरकार की है जिससे इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका नाम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक जो प्रस्तुत किया जाने वाला है, जिसे नकल विरोधी कानून के नाम से भी आमतौर पर शिक्षा जगत से जुड़े लोग जानते हैं।

प्रदेश की सरकार एक बार पहले खारिज कर चुकी है और इसी सदन में इस पर चर्चा करके उसको निरस्त कर दिया गया था आज उसी पिटे हुए कानून को गलत मंशा से यह सरकार फिर लाने जा रही है जो बहुत ही खतरनाक है। मान्यवर, पिछली बार का जो अनुभव है इस काले कानून से बालक और बालिकाओं का भविष्य अन्धकारमय हो गया था उसे पुनः यह सरकार लाने की कोशिश कर रही है

जिससे यह सरकार सिद्ध करना चाहती है कि इससे शिक्षा के उन्नयन के लिए और उच्च स्तरीय शिक्षा में सुधार की बात होगी तो यह बात भ्रामक है । मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम नकल विरोधी हैं । लेकिन नकल की जो छात्र गलती करता है उसको सजा दी जाये किन्तु सजा देने के दूसरे प्राविधान हैं । लेकिन नकल करना अपराधी की श्रेणी में नहीं आता है । जैसे लोग गलती से नाखून चबाते हैं किन्तु उसकी यह सजा नहीं है कि उसकी उंगली काट ली जाये । यह नहीं हो सकता है । मान्यवर, इनका जो प्रयास है वह पूरी तरह से यह है कि जिन स्थानों को वह सुरक्षित करना चाहते हैं नकल के लिए, उसे वह इस कानून की आड़ में नकल कराने का काम यह सरकार करना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि कई माननीय सदस्यों की सूचना है इसलिए कम से कम दो-तीन लोगों को इस प्रश्न पर बोलना है अतः आप अब समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूं । मैं कह रहा था कि जो नकल करते हैं उनको उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिनियम में सजा देने के पहले से प्राविधान मौजूद हैं । यदि छात्र नकल करते हुए पकड़ा जायगा तो पहले उससे स्पष्टीकरण लिया जायेगा । और स्पष्टीकरण के बाद अगर दोष का भागी है, तो उसे अगले तीन वर्षों के लिए निकाल दिया जायेगा, वह परीक्षा में बैठ नहीं पायेगा । जो अध्यापक या दूसरे कर्मचारी हैं, जो अगर इस अपराध को कराने में शामिल हैं, तो उनको दण्डित किये जाने का प्राविधान है, तो इस कानून की क्या आवश्यकता है । तमाम लड़कियों को जेल भेजा गया है । उसकी सूची है और अगर आप आज्ञा देंगे तो उस सूची को लाकर मैं आपको दें सकता हूं । मान्यवर, इस अध्यादेश को लाकर केवल आतंक फैलाया गया है और ठेके पर नकल कराने के लिए इसको लाया गया है । इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको वापस किया जाये । यह बड़े महत्व का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि आप सदन के अन्य कार्यों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह तो नियम 311 में था और माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे नियम 311 में ही सुनने के लिए कहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

सब सूचनायें नियम 56 में परिवर्तित कर दी गयी हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप इस पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको बता रहा हूं कि सारी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

ऐसा नहीं, यह तय हुआ था कि नियम 311 में ही सुना जायेगा । ऐसा नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

नियम 311 में सूचना है ।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी ने इसे नियम 311 में ही स्वीकार किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरी बात को सुन लें । मेरे पास उपलब्ध सूचना है, उसी को बता रहा हूं । मैंने अपने आप से कोई व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री धनीराम वर्मा–

उन्होंने स्वयं नियम 311 में स्वीकार किया है । वहां पर तय हुआ था । अध्यक्ष जी ने कहा है कि नियम 311 में सुनूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे 311 में सुनना प्रारम्भ किया, उसके बाद आप आये हैं, बीच में यह कैसे बदल गया है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा नाम भी है ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना देने वाले सदस्य हैं उनकी श्रृंखला बहुत लम्बी है । अगर केवल इसी सूचना पर सभी माननीय सदस्यों को सुना जायेगा, जितने लोगों ने इस सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं, तो सम्भवतः शाम तक यही विषय चलेगा ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है इसको समय सीमा में न बांधें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात सुन लें । अध्यक्ष जी से आप बात कर लीजिये । यह तय हुआ था नकल अध्यादेश जो आया है उस पर सवा घण्टे सुना जायेगा । आप पहले बात कर लीजिये । उसके बाद आप कहें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी बात कह दूं । या तो माननीय नेता विरोधी दल आप और अन्य दलों के नेताओं को ग्राह्यता पर सुन लूं । अगर सबको, जिनके नाम से सूचना आयी है, सुना जायगा तो कठिनाई होगी । अगर आप एक ही सूचना पर बोलना चाहते हों तो कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, यह सरकार अध्यादेश को वापस ले ले तो बहस का कोई मामला नहीं बनेगा । आप नेता सदन को वापस लेने के लिए आदेशित करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । 311 के अन्तर्गत यह जो मामला आया है यह इतना गम्भीर है कि अगर गम्भीरतापूर्वक इस पर चर्चा और विचार नहीं किया गया तो सारा प्रदेश जल जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (शोर)

श्री अवधेश प्रसाद–

1994 में माननीय मुलायम सिंह ने एक सेकेण्ड में इस कानून को समाप्त कर दिया था । जल्दबाजी में यह कानून लाया गया है । इसको हल्केपन से नहीं लेना चाहिए । यह छात्रों का सवाल है । [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

(घोर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, नकल विरोधी अध्यादेश पर पहले भी चर्चा हुई थी और आज मैं आपके संज्ञान में इसलिये ला रहा हूं कि मौजूदा सरकार .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर यह ज्वलंत समस्या है। विधान भवन के बाहर शिक्षक धरने पर बैठे हैं। जब हम यहां से अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो हमें जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर इधर के भी और उधर के भी सदस्य चिन्तित हैं और इसलिये यह प्रश्न उठाया है।

(व्यवधान)

* श्री मुराद लारी–

मान्यवर, आपको उस कुर्सी पर बैठकर फैसला करना चाहिये। आप पार्टी की मानसिकता के आधार पर कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपने वाक्य पर विचार करें। इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, नकल विरोधी अध्यादेश पर पहले भी चर्चा हुई थी। यह सभी के संज्ञान में है कि मौजूदा सरकार पहले भी एक बार इसे लाई थी और उसी में यह सरकार चली गई थी। अब दूसरी बार यह इसे लाकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम अपना कानून बना सकते हैं। आज छात्र छात्राओं, अभिभावकों, प्रदेश की सम्पूर्ण जनता ने इसे तिरस्कृत कर दिया है। यह अध्यादेश लाकर यह कौन सा सन्देश देना चाहते हैं ? छात्र, छात्राओं को हथकड़ी पहनाकर, सबको दण्डित करके कचहरी में ले जाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी दिल से दुखी हैं। न जाने किसके दबाव में आकर यह अध्यादेश जारी किया गया है। मैं इसलिये यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब हाउस आपके सामने आ रहा है तो उस बीच में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अध्यादेश को जारी किया गया। मैं अपने जनपद की बात बता रहा हूं वहां 3 हजार छात्र छात्रायें हैं परीक्षा केन्द्र के पास किसी को जाने नहीं देंगे उनको हथकड़ी डाल देंगे। जो इस सरकार के विरुद्ध है तो उसको पकड़कर बन्द कर देंगे।

मान्यवर, एक बार यह सरकार इस अध्यादेश को लागू करके भोग चुकी है। पढ़ाई का इन्तजाम आप कर नहीं सकते हैं। स्कूल कालेज हैं तो वहां अध्यापक नहीं हैं और नकल विरोधी अध्यादेश लाकर किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। आज ऐसे भय के वातावरण में तरक्की नहीं हो सकती। छात्र छात्रायें अभिभावक सबमें भय व रोष है। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है। सब चीजों को रोक कर चर्चा की जाय ताकि जनता जान सके कि इस विधान सभा में सरकार में जो भानमती का कुनबा है इसमें लोग कैसे हैं।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि–

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

नोटिस में हमारे नाम हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं यह जानना चाहता हूं जो नोटिस दी गई उसी पर सुन रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इनकी भी सूचना इसी विषय पर है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

सूचना पर जिनके हस्ताक्षर हैं पहले उनको सुन लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना पर समरपाल जी के भी हस्ताक्षर हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस नोटिस पर जिनके नाम हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर किये हैं पहले उनको सुन लें फिर दूसरे माननीय सदस्यों को सुनें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उनको अपनी बात कहने दें आपको भी अवसर दिया जायगा ।

श्री समरपाल सिंह–

श्रीमन्, यह समझ में नहीं आता है कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से क्या कहना चाहती है ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

समय समाप्त हो जायगा, पहले दूसरे फिर तीसरे दल को लेंगे इस तरह तो इस दल का नम्बर ही नहीं आयेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस नोटिस पर समाजवादी पार्टी के जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे इस पीठ के पास नाम चले गये अगर उन माननीय सदस्यों को इनके बाद सुन लें तो हमको आपत्ति नहीं है लेकिन यदि क्रम समाप्त करके दूसरी नोटिस ले रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इतनी देर में तो समरपाल जी बोल लेते ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, किसी भी सरकार, कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि समाज को सही दिशा दें । यह सरकार शिक्षकों का मनोबल गिराकर छात्र-छात्राओं को जेल भेज कर समाज में क्या करना चाहती है ? नकल अध्यादेश की क्या जरूरत है ? यदि कोई छात्र छात्रायें नकल करते हैं तो उसके लिये बोर्ड नियमों में प्राविधान है यह एक अनुशासनहीनता है । अगर छात्र छात्रायें नकल करते हैं तो बोर्ड के नियमों के

तहत कार्यवाही होगी । उसको परीक्षा देने से रोका जा सकता है दो तीन साल के लिये परीक्षा से उसका बहिष्कार भी किया जा सकता है । लेकिन किसी छात्र छात्रा को जेल में डालकर तीन महीने की जेल करके क्या समाज सुधार कर सकेंगे ? छात्र-छात्रायें देश का भविष्य हैं यह सरकार चाहती है प्रदेश के अन्दर अपराधीकरण को बढ़ावा मिले । यह शिक्षकों का मनोबल डाउन कर रहे हैं । शिक्षक धरना दिये हैं । पांचवें वेतन आयोग में शिक्षकों के साथ न्याय नहीं किया गया । वह आन्दोलन के लिये बाध्य हो गये । एक शिक्षक के ऊपर पुलिस वाले को बिठा दिया है । शिक्षकों पर विश्वास नहीं है । अगर पुलिस वाले नकल करायेंगे तो कौन रोकेगा ? पुलिस इंस्पेक्टर का लड़का परीक्षा देगा तो कांस्टेबिल नकल करायेगा, उसको कौन रोकेगा ? शिक्षक रोकेगा तो वह कहेंगे नकल करा रहा था । अगर किसी प्रधानाचार्य से प्रशासन के लोग नाराज हैं अगर उन्होंने किसी के कंडीडेट का एडमीशन नहीं किया है तो उसके ऊपर नकल कराने का अभियोग लगाकर उसको जेल में बन्द कर देंगे और कह देंगे कि नकल करा रहे थे तथा नकल अध्यादेश का उल्लंघन कर रहे थे । पिछली बार जब इस कानून को लगाया गया था तो कई छात्र/छात्राओं ने आत्महत्या तक कर ली थी ? जो छात्रायें जेल में जायेंगी उनकी शादी कैसे होगी ? इस अध्यादेश से समाज का अपराधीकरण होगा । जिन लोगों से समाज का नव निर्माण होना चाहिये उनको जेल में बन्द करने का काम किया जा रहा है । यह कानून समाज विरोधी है, प्रदेश विरोधी है यह भावी पीढ़ी को नष्ट करने के लिये है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर चर्चा करवा लें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, चन्द्रेश पासवान जो सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये पुलिस अभिरक्षा में यहां पर आ गये हैं उनको बाहर रोक लिया गया है । कृपया उनको सदन के अन्दर बुलवा लीजिये जब सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये ही यहां वह आये हैं तो उनको अन्दर बुलाया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

इस मामले पर श्री अध्यक्ष जी निर्णय देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

वह एन०एस०ए० में निरुद्ध हैं । सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये उनको नैनी जेल से यहां लाया गया है । उनको पुलिस यहां नहीं आने दे रही है जिस कार्य के लिये यहां लाया गया है उस अधिकार का वह उपयोग करें । उस अधिकार का हनन न हो ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व वक्ताओं के नकल विरोधी अध्यादेश के सम्बन्ध में अपनी बातें रखीं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं । इस अध्यादेश से सरकार की मंशा साफ है कि वह अपने बच्चों को स्कूलों के चुने हुए कमरों में परीक्षा दिलाने का काम करेगी तथा गरीब एवं किसान मजदूर के बच्चों को जेल भेजने का काम करेगी । अगर सरकार को आम बच्चों के भविष्य की चिन्ता होती तो वह देखती कि बच्चों को सही शिक्षा दी जाए । अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाने गए कि नहीं इसका सरकार की न कोई सोच है न कोई व्यवस्था है । नकल के सम्बन्ध में पहले से ही संविधान में व्यवस्था है कि यदि कोई बच्चा नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे एक या दो वर्ष के लिए परीक्षा से निकाल दिया जाता था । परीक्षा से वंचित रखा जाता

है । इस कानून के द्वारा यह किया गया है कि शासन में बैठे हुए लोगों के बच्चों को नकल कराई जाएगी और वही व्यवस्था होगी कि किसी प्रकार से पुलिस व्यवधान न उत्पन्न करे जिससे इनके बच्चों का नकल करने में भरपूर सुविधा मिल सके । इनकी नीयत साफ नहीं है । 14-15 साल के बच्चों को, मानसिक रोग व शारीरिक रूप से तंग करने के लिए यह काला कानून लाया गया है । इसलिए मैं अपनी तरफ से यह मांग करता कि इस काले कानून को वापस लिया जाए तथा सभी बच्चों को समान शिक्षा दिलायी जाए

श्री जगदम्बिका पाल–

माननवर, मेरी एक सूचना अलग से है ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो इस सरकार द्वारा नकल अध्यादेश लाया गया है उसमें इनकी मंशा ठीक नहीं है, अगर मंशा ठीक होती तो विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध होता, स्कूल की बिल्डिंग का प्रबन्ध होता । लेकिन इस सरकार की मंशा हमारे नौनिहालों को 13–14 साल के छात्र-छात्राओं को जेल भेजने की है । स्कूलों के प्रबन्धक एवं प्रबन्ध समिति के लोग जिन्होंने कई वर्षों तक लगातार मेहनत करके स्कूलों को स्थापित किया है, उसको चलाया है तथा अच्छी शिक्षा देने की उनकी मंशा है लेकिन इस सरकार की मंशा अध्यापकों से लेकर प्रबन्ध तंत्र के लोगों को जेल भेजने की है । आपके सामने पिछला उदाहरण है कि जब नकल अध्यादेश लगा था तो हमारे 13–14 साल के छात्र-छात्राओं को जेल जाना पड़ा था । हमारी कई छात्राओं ने तो जेल से निकलने के बाद आत्महत्या तक कर ली थी उसका कारण था कि एक बार जेल जाने के बाद उनकी शादी व्याह नहीं हो पाती थी । आज इस काले कानून के द्वारा यह सरकार छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जा रही है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह नकल अध्यादेश वापस लिया जाये और इस पर चर्चा कराई जाये । इस काले कानून के द्वारा छात्रों और अध्यापकों का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है । हमारे छात्र-छात्राओं को जेल भेजा जा रहा है जहां उन्हें अपराधियों के साथ रखा जायेगा जिससे उनका भविष्य अन्धकारमय होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही इस काले कानून को वापस लिया जाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, परीक्षाओं की पवित्रता राजनीति का विषय नहीं है । किसी भी पक्ष की तरफ से परीक्षाओं की पवित्रता, विद्या परिसरों में शैक्षिक वातावरण हो, शिक्षा उन्नयन हो, मैं समझता हूं कि कदाचित इस पर पूरा सदन सहमत होगा । जिस दिन इस अध्यादेश को लाया गया मंत्रि परिषद् के फैसले के बाद मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को मीडिया में देखा, उन्होंने कहा कि सदन 24–3–98 से प्रारम्भ होगा और उसी दिन से परीक्षायें प्रारम्भ हो रही हैं इसलिये यह अध्यादेश लाना हमारी मजबूरी हो गई थी । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा साफ होती तो माननीय मुख्य मंत्री जी सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुला सकते थे, उस पर चर्चा कर सकते थे लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं थी । इस नकल विरोधी अध्यादेश के कारण हमारी तमाम छात्राओं ने आत्महत्या तक कर ली थी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है, पूरे प्रदेश के छात्र आज डिग्रियां ले करके घूम रहे हैं। यह सरकार उनके रोजगार के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। जिन छात्राओं की शादियां निर्धारित हैं, अगर उनको जेल भेज दिया गया, तो क्या वह बहन डोली में बैठकर ससुराल जा पायेगी ? मैं समझता हूं कि आज पूरे प्रदेश के लिये यह नकल अध्यादेश शर्म की बात है। इस अध्यादेश का दुरुपयोग भी होगा, जिन शिक्षकों अभिभावकों की पुलिस से रंजिश होगी, वह इसके बहाने से उनको जेल में भेज सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर आज चर्चा कराई जाये।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नकल अध्यादेश जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य हमारे छात्र और छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है लेकिन मैं समझता हूं कि यह शासन में बैठे हुये लोग एक तरह से मद में चूर हो गये हैं और इस तरह के काले कानून लाये जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी विद्यालय में पढ़े हुये हैं और शिक्षा ग्रहण की है। मैं भी काफी लम्बे समय तक विद्यालय का प्राचार्य रहा हूं लेकिन कभी भी उस समय कोई भी छात्र नकल करने का दुस्साहस नहीं करता था। आज छोटे–छोटे बच्चों को 12–14 साल के छात्र-छात्राओं को जेल में भेजा जायेगा, उनकी जब तक जमानत होगी, तब तक उनको थाने पर रखा जायेगा, इस तरह से भारतवर्ष की संस्कृत में, इसके गम्भीर परिणाम होंगे और छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार शिक्षकों के उन्नयन के लिये, शिक्षा के उन्नयन के लिये कोई निर्णय नहीं ले रही है। जब तक शिक्षकों के वेतन का मामला, प्रमोशन का मामला अधर में डाला जायेगा, जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक शिक्षा का वातावरण नहीं बन सकता। यदि कोई शिक्षक किसी पुलिस वाले के छात्र को नकल नहीं करायेगा तो इस काले कानून के तहत उसको भी जेल भेजा जायेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज सारे काम रोक कर इस विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले नकल अध्यादेश के बारे में अपने दल के विचार स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सम्पूर्ण विपक्ष की यह इच्छा है कि नकल रुके, नकल का पक्षधर कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हं कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता था कि जब वह इस अध्यादेश को लेकर आये थे, उससे पहले सम्पूर्ण सदन को विश्वास में लेते, सभी दल के नेताओं को बुलाते और इसे जारी करने से पहले हम सभी के विचार जान लेते। मान्यवर, इस सरकार को इस नकल अध्यादेश को जारी करने का नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने बहुत सी जगहों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है, बहुत सी जगहों पर नियमित कक्षायें नहीं चलायी गयी हैं। इस सरकार ने यह भी देखने की प्रयास नहीं किया कि छात्र-छात्राओं को समुचित शिक्षा दी जा रही है अथवा नहीं। चयन आयोग को भंग कर दिया गया है, नये शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते, अध्यापकों को विषय का ज्ञान नहीं है, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जहां पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षण सत्र भी नियमित नहीं है और नकल अध्यादेश लाया जा रहा है, इससे छात्र को एक अच्छा नागरिक

नहीं बनाया जा रहा है बल्कि इस सरकार की मंशा यह है कि छात्र-छात्रायें अपराधी बनें । मान्यवर, मेरी मंशा भी यही है कि नकल रुके । लेकिन इस तरह से अध्यादेश लागू करके नकल को नहीं रोका जा सकता है, नियमों का कड़ाई से पालन करके नकल को रोका जा सकता है । मैं आपसे मांग करता हूं कि नकल अध्यादेश को वापस लिया जाय और सभी दल के नेताओं को बुलाकर, विचार करके एक नया कानून बनाया जाय ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस गम्भीर मामले पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार प्रदेश के उन स्कूलों के बारे में चिन्तन करती जिनके पास भवन नहीं है, जिनके पास अध्यापक नहीं हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए चरित्र निर्माण की अन्य योजनायें नहीं हैं । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिनका जिक्र हमारे साथियों ने किया है । आज छात्र अपना चरित्र निर्माण कैसे करें, हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए थी, हम इक्कीसवीं शताब्दी के नागरिक कैसे बनेंगे ? मान्यवर, बीसवीं शताब्दी में क्या कमियां रही हैं उनको दूर करते हुए नई शिक्षा नीति की घोषणा होती जिससे प्रदेश का विकास होता, इस पर ध्यान नहीं दिया गया । मान्यवर, पिछले दिनों इस कानून को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है और पूरा प्रदेश इसे लेकर उद्वेलित हो चुका है । जिन लड़कियों के हथकड़ियां पड़ी उनकी शादियां नहीं हो पायीं और उन्होंने आत्महत्या कर डाली उनके संरक्षकों को अपमानित और उत्पीड़ित किया गया ।

मान्यवर, पिछली सरकार के उस कानून को उसके बाद की सरकार ने समाप्त कर दिया था क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया था । अब आपकी यह प्रेस्टिज बनी हुई है कि एक बार जो व्यवस्था आपने लागू की और दूसरी सरकार ने उसे खत्म कर दिया तो पुनः आप उस व्यवस्था को लागू करेंगे । मुझे लगता है कि आप इस प्रदेश की जनता को पुनः उद्वेलित करना चाहते हैं । आपके पास कोई ऐसी नीति नहीं है जिसके अनुसार आप भावी पीढ़ी का चरित्र निर्माण कर सकें । शिक्षकों के हित की योजनाओं को लागू करने की बात शासन में सर्वोच्च वरीयता पर होनी चाहिए थी इन सबका ध्यान न रखते हुए आपने उसी पुरानी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया है इसके प्रति हम लोग भी आन्दोलित हैं और इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया है नियम 311 के अन्तर्गत इसको लाकर मैं मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय पर पूरे दिन भर चर्चा करायी जाय और जो शिक्षा के चिन्तन का नवनीत निकले, उस व्यवस्था को लागू किया जाय ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि इस लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, विगत दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए जो अध्यादेश प्रख्यापित कराया, मुझे सख्त एतराज उस अध्यादेश को जारी करने के लिए सरकार की तबियत और नीयत पर है । हम और हमारा दल शिक्षा के स्तर की गिरावट के प्रति चिन्तित है । हम भी यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर के उन्नयन में, स्वस्थ्य वातावरण के निर्माण में प्रदेश के अन्दर सर्वाधिक पहल होनी चाहिए लेकिन मेरा सख्त एतराज है कि जिस शीघ्रता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अध्यादेश प्रख्यापित करके जो वातावरण इस उत्तर प्रदेश में बनाने का कार्य किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो बात कही जा चुकी है उसे न दोहरायें । सबको थोड़ा-थोड़ा समय देना चाहता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं निर्धारित समय के अन्दर ही अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, इस अध्यादेश के चलते उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत पर जो मैंने एतराज जाहिर किया है उसके पीछे मेरा मत यह है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षा सत्र नियमित नहीं रहा है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, विद्यार्थियों की प्रयोगशालाओं में उपकरण नहीं, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी उसके लिए जो सरकार का अपना उत्तरदायित्व था उनकी जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया वहीं इस अध्यादेश के माध्यम से आज यह सरकार परीक्षाओं में आतंक पैदा करने का काम कर रही है । इससे स्पष्ट है कि छात्रों को स्वस्थ्य नागरिक बनाने की उसकी नीयत नहीं है । मेरा मत है कि इस सदन में चर्चा कराई जाय और इस अध्यादेश को रोकने के लिए आप सरकार को निर्देश दें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह जो नकल विरोधी विधेयक लाया गया है ।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 1.50 बजे औपचारिक कार्य लिये जाने हैं 2 बजे सप्लीमेंटरी आनी है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, एक वक्तव्य और दिलवाकर आप को बुलवा लेते हैं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का वातावरण बेहतर हो यह हम सब चाहते हैं लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नकल विरोधी काला कानून लाया गया है, यह एक तरह से उत्तर प्रदेश विधान सभा का अपमान है । मान्यवर, यह ज्ञात था कि 24 तारीख से सत्र प्रारम्भ होने वाला है इसके पहले ही आप यह अध्यादेश ले आये बोर्ड की परीक्षायें आज से शुरू हो रही हैं । मान्यवर, शिक्षा की क्या स्थिति है छात्रों की फीस बढ़ा दी गयी है शिक्षकों के स्थान रिक्त हैं उनको भरा नहीं गया है शिक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की गई है और दूसरी तरफ बिना सदन को विश्वास में लिये हुए यह जो अध्यादेश जारी किया गया यह विधान सभा का और माननीय सदस्यों का अपमान है । मान्यवर, केरल में शिक्षा पर वहां की सरकार ज्यादा धन खर्च करती है शिक्षा फीस मुक्त है इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार शिक्षा पर ज्यादा धन खर्च करती है । उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर 10 प्रतिशत ही खर्च नही होता है ।

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें शिक्षा जगत में लागू नहीं की । अध्यापकों ने जब इसका विरोध किया तो उनको प्रताड़ित करने के लिए यह नकल विरोधी अध्यादेश आप ने जारी किया इस तरह से छात्रों के उत्पीड़न के लिए उनको प्रताड़ित करने के लिए यह अध्यादेश आप ने जारी किया है । आप इस अध्यादेश को वापस लें और सदन को इस पर विश्वास में लें हमारे विचारों को सुना जाय इस प्रश्न पर चर्चा कराई जाय ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो और नकल को रोकने के लिए बेहतर

ढंग से कोई रास्ता ढूंढा जा सके । इस पर आज चर्चा कराई जाये और इस अध्यादेश को वापस लिया जाय ।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 1.45 बजे यह जो नियम 311 की सूचना है और जो कार्यसूची में औपचारिक कार्य है उनको लिये जाने की बात थी यदि आप लोग इसमें अनुमति दे दें, इसी तरीके से 2.00 बजे अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत की जानी हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 2.00 बजे समय पर जो मद आनी है उसमें समय बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष–

2.00 बजे प्रस्तुत करा देतें हैं मद संख्या 26-27 ले लेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पहले इसको समाप्त हो जाने दीजिए मैं स्वयं भी इस पर नहीं बोल पाया हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

श्रीमन्, नकल अध्यादेश अगर नकल रोकने की नीयत से लाया जाता तो हम इसका स्वागत करते परन्तु यह नकल अध्यादेश इस प्रदेश में एक ऐसे काले कानून के रूप में लाया जा रहा है जैसे-रामराज्य काल में शिक्षा से वंचित करने के लिए शम्बूक का सिर काट दिया गया था । और महाभारत काल में एकलव्य का अगूंठा काट दिया गया था । आज उसी प्रकार से दबे, कुचले, गरीब और बहुजन समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित करने के लिए इस नकल अध्यादेश विरोधी कानून का सहारा लेकर उन्हें अपराधी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है । यह कानून दुर्भावनाओं से ग्रसित है और दबे, कुचले, गरीब आर बहुजन समाज के छात्रों को अपराधी बनाकर उन्हें जेलों में ठूसकर उनकी जिन्दगी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है ।

मान्यवर, इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आज की शिक्षा व्यवस्था ठीक होती और विद्यालयों में शिक्षा की पूरी व्यवस्था होती, अध्यापक होते, प्रयोगशालाए होतीं तो इस नकल अध्यादेश को लाने की आवश्यकता ही नहीं होती । मान्यवर, नकल हमेशा प्रोटेक्टेड लोगों के परिवार जनों ने ही किया है । जिनके गार्जियन अध्यापक होते हैं या जिन विद्यार्थियों के मां-बाप बड़ी हैसियत रखते हैं वही लोग नकल करवाते हैं । खेत-खलिहान से निकला हुआ छात्र कभी नकल नहीं करता । वह अपने परिश्रम और मेहनत से तथा पढ़ाई से आगे बढ़ता है । इसलिए मेरा कहना है कि यह जो अध्यादेश लाया जा रहा है वह नकल रोकने की मंशा से नहीं लाया जा रहा है अपितु उन गरीब परिवार के बच्चों को अपराधी बनाने की दिशा में लाया जा रहा है इसलिए हमारा कहना है कि इस काले कानून को रोका जाये । और इस काले कानून के माध्यम से जो गन्दा खेल खेलने का काम सरकार कर रही है, उस पर अंकुश लगाया जाये ।

मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री यहां बैठे हैं एक साल पहले पोस्ट ग्रेजुएट कालेज का आपने उद्घाटन किया था लेकिन आज तक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए सबसे पहले आप अपनी

व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करें इस अध्यादेश के द्वारा विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। विद्यार्थियों को जेलों में ठूसकर उन्हें अपराधी बनाने की दिशा में जो काम किया जा रहा है उस पर अविलम्ब अंकुश लगाया जाये।

श्री अध्यक्ष–

इस समय दो बज रहे हैं।.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, क्या नियम-311 के अन्तर्गत कुछ और भी सूचनायें हैं ?

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।....

श्री अध्यक्ष–

मुझे दो बजे अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करना है।

श्री धनीराम वर्मा–

आप इसके बाद उसको ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रस्तुतीकरण हो जाने दीजिये। कई माननीय विधायक और भी विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। आज की समय की कठिनाई को देखते हुए मद संख्या 5 से 25 बाद में लेते हैं। पहले हम मद संख्या–26 ले रहे हैं। उसके बाद आपको समय मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 1997-98 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण †

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1997-98 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

मद संख्या–27 में बहुत अधिक नहीं है। पहले इसे ले लिया जाय।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, पहले नियम-311 हो जाने दीजिये। इस पर बहुत अधिक सदस्य अब बोलने को नहीं रह गये हैं।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसे खाली पढ़ना है बहुत अधिक समय नहीं लगेगा।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपको कितना समय लगेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं तो सिर्फ ग्राह्यता पर ही बोलूंगा कोई अधिक समय नहीं लगेगा ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने पहले मद संख्या–26 को ले लिया और यह प्रस्तुत हो गया । आप उससे पहले नियम–311 पर सुन रहे थे तो पहले उसे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय नेता विरोधी दल को हम सुन लेते हैं ।

प्रदेश की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश, 1998 के माध्यम से नकल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, हम लोगों की ओर से जो अभी 18 मार्च को नकल विरोधी अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है उसके विरोध में, नियम 311 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मांग किया है कि इसकी ग्राह्यता पर सुन लिया जाये । इस विषय पर विस्तार में चर्चा कराई जाये और चर्चा इसलिए कराई जाये कि यह काला कानून पहले भी आ चुका था और इस काले कानून पर जब आप सरकार से हट गये, आपको पराजित होना पड़ा और हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो एक घण्टे के अन्दर इस काले कानून को समाप्त कर देंगे । मान्यवर, हमारी पार्टी सत्ता में आई और इस काले कानून को आधे घण्टे में समाप्त कर दिया । पुनः इस काले कानून को आपको इस हठवादिता के आधार पर नहीं लाना चाहिए था बल्कि आपको चाहिए था कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की कोई बात किया होता तो अच्छा होता । आप एक साल से सत्तासीन हैं । किन्तु शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं रखा है ।

मान्यवर, प्राइमरी विद्यालयों में और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं जिससे शिक्षा चौपट हो रही है । माननीय शिक्षा मंत्री भलीभांति परिचित होंगे और मैं भी एक कालेज का प्रिंसिपल रहा हूं, अब रिटायर हो गया हूं, मेरा कई विद्यालयों से संबंध अभी भी है, इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या कक्षा 9-10 के सामान्य विज्ञान के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए जब से इस विषय को लागू किया गया है क्या कोई पद शिक्षक का सृजित किया गया है ? यदि नहीं, तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक गणित का अध्यापक जब हिन्दी, समाज शास्त्र, से एम० ए० कर लेता है और उसके बाद जब ज्येष्ठता के आधार पर प्रमोशन होता है तो उस कक्षा में,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हिन्दी या समाज शास्त्र पढ़ाने के लिए, उसकी जगह पर गणित या विज्ञान का अध्यापक क्या नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं है ?

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब शिक्षा अधिनियम 1988 में विधान है कि नकल करने की यदि कोई चेष्टा करेगा अथवा अनुचित सामग्री किसी के पास पायी जायगी तो एक साल के लिए उसे परीक्षा रद्द कर दी जाएगी यदि उसने नकल किया है तो दो साल के लिए उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि उसके बाद भी छात्र अनुशासनहीनता करता है तो उसे दो-तीन सालों के लिए डिबार कर दिया जाता था । मान्यवर, यह इतने प्रभावी कदम थे कि इससे नकल करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी लेकिन शिक्षा का सत्र ठीक से नहीं चल रहे हैं, अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की जा रही है और 8-10 सालों से शिक्षा में इस तरह की अव्यवस्थायें बनी हुई हैं जिससे लोगों में ठेके पर नकल कराने का काम शुरू कर दिया है ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस काले कानून की आवश्यकता नहीं है । आखिरकार यह नकल जैसी घातक समस्या क्यों पैदा हुई, नकल नितान्त गलत है, नकल से छात्र-छात्राओं का भविष्य चौपट होगा और शिक्षा का स्तर नीचे आयेगा, तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा होने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोग अपनी राय प्रकट करें । क्या यह सब सही नहीं है कि अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं दिया गया है, जो उनकी वेतन की विसंगति थी, उसको दूर नहीं किया गया है और इसी कारण उन्होंने हड़ताल किया और छात्र-छात्राओं की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, तो दोषी कौन है ? जब यह तय हो गया था कि जो वेतन केन्द्र में दिया जायेगा, वही वेतन प्रदेश में भी दिया जायेगा, तो फिर इसमें विसंगति कैसे है ? इस मौजूदा सरकार ने उनको केन्द्र के समान न देकर शिक्षा को चौपट करने का काम किया है । इससे गरीब छात्र-छात्राओं का हित नहीं हो सकेगा, अमीर लोग तो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर शिक्षा दिला देंगे, लेकिन जो गरीब छात्र-छात्रायें हैं, वह कहां पर पढ़ेंगी । उनकी पढ़ाई तो तभी हो सकती है जब विद्यालय में शिक्षा का स्तर ठीक हो, उसमें अध्यापक हों और ठीक से पढ़ाई होती हो, लेकिन इस ओर कभी सोचा नहीं गया है । जो नियम 311 का नोटिस हमारी पार्टी ने दिया है, विरोध पक्ष ने दिया है, उस पर विस्तार से चर्चा करा ली जाये और इस काले कानून को रद्द किया जाये । इस पर आपकी व्यवस्था स्वीकार करने के लिये आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी कहेंगे ।

* उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, नकल विरोधी अध्यादेश के बारे में जो चर्चा हुई है, उसके संबंध में कई माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा की व्यवस्था में गुणवत्ता को लाने का संकल्प किया है । परीक्षाओं में व्यवस्था ठीक बनाये रखने के लिये हमने इस अध्यादेश को प्रतिष्ठापित किया है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में राजनैतिक अन्तर भले हो, लेकिन अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आप प्रदेश के [illegible]त्राओं के भविष्य को देखना चाहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना बहुत आवश्यक है। पिछली बार जब माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे और [illegible]नीय राजनाथ सिंह जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, उस समय इस चीज की आवश्यकता को [illegible] किया गया था। परीक्षाओं में खुल्लमखुल्ला नकल होती थी और इसको अगर न रोका गया तो गरीब लोगों के बच्चों के साथ अन्याय होगा। मैं कहना चाहता हूं कि पहले ठेके उठते थे, कुछ पैसा दे दीजिये और जिसके पास पैसा नहीं होता था, उसको नकल करने को नहीं मिल पाती थी। इसी को रोकने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है। हम सभी छात्रों के साथ न्याय करना चाहते हैं और इसी कारण से इस अध्यादेश को लाया गया है। 18 मार्च को यह अध्यादेश लाया गया है और 24 मार्च से परीक्षायें शुरू थीं और कुछ विद्यालयों में परीक्षायें चल रही थीं और अगर डिले किया गया तो इसका परपज हल नहीं होगा। इसलिये 18 मार्च को यह अध्यादेश लाया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन से यह कहना चाहता हूं कि यदि भवन की नींव मजबूत होगी तो भवन बहुत वर्षों तक चलेगा। इसी तरह से हम शिक्षा के माध्यम से संस्कार देना चाहते हैं अपने छात्र और छात्राओं को। अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारे छात्रों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हमारे यहां पर कई वरिष्ठ बंधु बैठे हैं मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आज से 20–25 वर्षों पहले हमारे प्रदेश के छात्र अन्य प्रदेशों के छात्रों से हर स्थान पर आगे हुआ करते थे। आज इन 20–25 वर्षों में क्या प्रतिभा में कमी हो गयी है ? मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रतिभा में कमी नहीं हुई है आज उनको सही शिक्षा और सही दिशा देने की आवश्यकता है। पूर्व की सरकारों ने शिक्षा को इस दृष्टि से नहीं सोचा। हमारी सरकार शिक्षा को शिक्षा के एंगिल से देख रही है इसलिये शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। इस समय आई० ए० एस० की परीक्षा में देख लीजिये हमारे प्रदेश के कितने छात्र आते हैं। क्यों आज अन्य प्रदेशों के छात्र इस परीक्षा में कंपलीट कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के छात्र क्यों कंपलीट नहीं कर पा रहे हैं ? इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ ध्यान न दिया जाना है।

श्री सुधाकर सिंह–

आज विद्यालयों में टाट पट्टी नहीं है, कुर्सियां टूटी हैं, मेजें टूटी हैं। केवल सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश लाकर ठीक की जा रही है। हमारे यहां मऊ जनपद में 1088 अध्यापकों की कमी है। फर्नीचर नहीं, अध्यापक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह आपस में विवाद न करें। जो बात कहनी है अध्यक्ष के माध्यम से कहिये, पीठ के माध्यम से कहिये।

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, स्कूलों में प्रयोगशालायें नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है। केवल छात्रों को अपराधी घोषित करने से सुधार नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

जब विधेयक पर चर्चा होगी तब इस बात का उल्लेख करियेगा।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा शिक्षा की गुणवत्ता पर परीक्षा की पवित्रता पर सरकार ध्यान दे रही है । अभी मैं 22 तारीख को कासगंज गया था वहां पर दीक्षांत समारोह था । मैंने वहां यह बात रखी । वहां पर अभिभावक थे, शिक्षक थे, छात्र थे सभी ने सरकार के कदम की सराहना की । मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी छात्र-छात्रा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा । पिछली बार जो आशंका थी उसको दूर करने का इस अध्यादेश के माध्यम से प्रयास किया गया है ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया ग्राह्यता पर ही बोलें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये थे उनका उत्तर दे रहा हूं । शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की बात है तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के सभी पद भर दिये जायें । हर स्तर के विद्यालय महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्य ठीक से चले । इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है । इस कानून को काला कानून कुछ सदस्यों ने कहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जो उत्तर दे रहे हैं वह चर्चा वाला आ ... है । उनकी भी मंशा है कि इस पर चर्चा हो जाय । मान्यवर, आप चर्चा किये जाने के आदेश ...

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने नियम–311 में इस विषय को ... चर्चा कराने की बात कही है । मान्यवर, प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने के लिये इस अध्या... ी आवश्यकता थी । आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे निरस्त कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और उच्च शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि नियम–311 में यह सूचना निरस्त होने योग्य है । जब यह विधेयक कल प्रस्तुत होगा तब उस पर चर्चा हो जायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान एवं कई सदस्य सदन के वेल में आ गये)

सदन में जब यह विधेयक प्रस्तुत होगा तब चर्चा होगी । उस पर आप अपने विचार रखियेगा ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र, इनक्लाब जिन्दाबाद, काला कानून नहीं चलेगा–नहीं चलेगा के नारे ल... ते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये)

जब विधेयक आयेगा तब चर्चा हो जायेगी । मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें । जब विधेयक पर चर्चा होगी तब अपने-अपने विचार रख लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी है । आपको अपनी बात दोबारा कहने का भी अवसर दिया जायेगा । मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

(डा० धर्मज्ञ मिश्र "इनक्लाब जिन्दाबाद, काला कानून नहीं चलेगा-- नहीं चलेगा" के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जायं । माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी अपने स्थान पर चले जायं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर चले जायं । सदन की कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री सुधाकर सिंह–

शिक्षा जगत में पर्याप्त कानून हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसको वापस करना नितान्त आवश्यक है ।

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

इस अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर जाएं ।

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 के अन्तर्गत यह नहीं आता है मैं इसको निरस्त करता हूं ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 मार्च, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई । जिनमें से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री राम ललित चौधरी जी की है । दूसरी सचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, चौथी सूचना श्री जगदीश नारायण जी की है, पांचवी सूचना श्री मुरलीधर जी की है, छठी सूचना श्री रामजग की एवं सातवीं सूचना श्री तेजभान सिंह जी की है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सात सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

बस्ती जनपद में कलेक्शन चार्ज शुगर मिलों से न लेकर गन्ना किसानों से लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम ललित चौधरी–

[मान्यवर, मैं लोक महत्व के अति आवश्यक विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि जनपद बस्ती में गन्ना किसानों का बकायेदार बस्ती जिसमें की बस्ती वालटरगंज तथा मुन्डरवा शुगर मिलें थी जिन पर गन्ना मूल्य की वसूली के संबंध में वर्ष 91-92 में रिकवरी सर्टीफिकेट यानी आर० सी० जारी हुआ था ।

रिकवरी सर्टिफिकेट के द्वारा जब वसूली होती है तब वसूली चार्ज बकायेदार से लिया जाता है । लेकिन ऐसा नहीं हुआ कलेक्शन चार्ज बकायेदार से न लेकर यानी मिलों से न लेकर गन्ना किसानों से ले लिया गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था ।

कलेक्शन चार्ज के रूप में लिये गये लगभग एक करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के लिये तमाम लिखा-पढ़ी हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद आज तक यह धन वापस नहीं हुआ ।

इसलिये सरकार यह धन अब ब्याज सहित वापस करे ।]

आवास विकास परिषद्, मेरठ द्वारा बनायी गयी स्कीम नं० 10 कालोनी में व्याप्त गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, स्कीम नं० 10 कालोनी, जो आवास विकास परिषद् द्वारा दिल्ली रोड पर बनाई गई थी उसमें व्याप्त गन्दगी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

इसमें सड़क मार्ग प्रकाश सीवर व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी है अभी तो एक सेक्टर में 3000 आवास में से मात्र 400 आवंटित हुई हैं उस परिस्थिति में सारी व्यवस्था चरमरा गयी है । नगर निगम को तो स्थानान्तरित होने की स्थिति नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मकानों के आगे पानी भरा है जल निकासी व्यवस्था नहीं है मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है।

कालोनी में आवास विकास परिषद् ने उचित क्षमता के ट्रांसफार्मर नहीं लगाये हैं। लोग अन्धकार/लो वोल्टेज में जीने को मजबूर हैं।

आवास विकास परिषद् मेरठ स्कीम नं० 10 की घोर उपेक्षा कर रहा है।

इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश शासन को देने का कष्ट करें।]

मथुरा के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करते हुए निवेदन करना है कि मथुरा जनपद स्थित ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आर० ई० एस० विभाग में भयंकर घोटाला है, ए० ई० तथा जे० ई० मिलकर ठेकेदारों से षड़यंत्र तहत कार्य पूर्ण न करने तथा स्थल पर कार्य ही न किये जाने की स्थिति में भुगतान पूर्ण रूप से निकाल लिया जाता है। मेरे द्वारा इस संबंध में विगत तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लिखित रूप में शिकायत की गयी परन्तु कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी जिससे उनके हौसले बुलन्द हैं।

उदाहरण के लिये मथुरा एवं गोवर्धन ब्लाक के विभागीय एवं ब्लाक अवर अभियन्ता एस० के० कुलश्रेष्ठ तथा ए० ई० तथा ठेकेदार प्रताप चौधरी द्वारा आगरा–मथुरा से दामोदर पुरा में मिट्टी एवं खड़ंजा का कार्य 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक नापा गया है जबकि 1 या 1.5 फुट मिट्टी कार्य ही किया गया है, इसी प्रकार मुखराई, अडींग तथा भगोसा में आदि में तथा गोवर्धन ब्लाक में आवासीय परिसर में टाइप द्वितीय भवनों के निर्माण में 1996-97 घपला किया गया ग्राम हकीमपुर में श्रमदान से कार्य हुआ वह स्वयं अपना दिखला कर भुगतान निकाला गया यह भ्रष्टाचार लगभग 10 वर्ष से मिलकर हो रहा है, प्रताप चौधरी द्वारा आर० इ० एस० आगरा में बीहड़ सुधार योजना में भी वहां भ्रष्टाचार किया गया।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि लोक महत्व के उपरोक्त पर शासन शीघ्र आदेश जारी करके भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।]

जौनपुर में रबी की फसल ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जगदीश नारायण–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर में मौसम की खराबी एवं ओलावृष्टि से पूरे जनपद में रबी की फसलों, आलू, सब्जी की फसलें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। किसान अभाव एवं भुखमरी के तरफ बढ़ रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद के किसानों को शीघ्र राहत दिलाने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद फतेहपुर स्थित ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा, विकास खण्ड बिजयीपुर में जूनियर हाई स्कूल की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा विकास खण्ड विजयीपुर में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है । जिससे इस ग्राम के साथ-साथ अगल-बगल के ग्रामों के बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । इन ग्रामों की बालिकाएं भी प्राइमरी पाठशाला के बाद शिक्षा अर्जित नहीं कर पाती । इन ग्रामों में अधिकतर गरीब अनुसूचित जाति एवं अति पिछड़े वर्ग की जनता निवास करती है । जिनकी खेती, मजदूरी ही आय के मुख्य साधन हैं । शासन की मंशा भी प्रत्येक ग्राम को पूर्ण साक्षर बनाना है । शिक्षा ही उस व्यक्ति, ग्राम एवं क्षेत्र व प्रदेश के विकास का साधन है । उक्त ग्राम से 5 किलोमीटर के अन्तर्गत कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है ।

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा, विकास खण्ड विजयीपुर, जनपद फतेहपुर में जनहित को ध्यान रखते हुए एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये ।]

जनपद आजमगढ़ स्थित उप विद्युत केन्द्र कम्हरिया पर 3 एम० बी० ए० के स्थान पर 5 एम० बी० ए० का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजग–

[मान्यवर, उप विद्युत केन्द्र कम्हरिया (आजमगढ़) पर मात्र 3 एम० बी० ए० का ट्रान्सफार्मर बहुत पहले का लगा है पम्पिंग सेट का कलेक्शन इतना अधिक है कि 3 एम० बी० ए० ट्रान्सफार्मर से किसानों को बिजली नहीं मिलती है । अधिकारियों का कहना है कि 3 एम० बी० ए० का ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 5 एम० बी० ए० का ट्रान्सफार्मर लगाया जाना आवश्यक है । 5 एम० बी० ए० ट्रान्सफार्मर न लगाये जाने से किसानों की फसल की सिंचाई, फसल की बुवाई नहीं हो पाती है । जिले में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है कि आज तक 5 एम० बी० ए० ट्रान्सफार्मर नहीं लगे जिससे क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष है । ऐसी स्थिति में किसानों के हितों को देखते हुए उक्त उप विद्युत केन्द्र पर 3 एम० बी० ए० ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 5 एम० बी० ए० ट्रान्सफार्मर अविलम्ब उत्तर प्रदेश सरकार लगवाने का आदेश दे ।]

जनपद सुल्तानपुर स्थित ग्राम दरियापुर, परगना मीरानपुर, स्थित गाटा संख्या 588 पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर के विनियमित क्षेत्र सुल्तानपुर अन्तर्गत ग्राम दरियापुर, परगना मीरानपुर स्थित गाटा संख्या 588 रकबा 19 बिस्वा बंजर है । यह भूमि आज से कुछ दिन पूर्व पूर्णरूपेण सरकार के कब्जे में थी परन्तु 2-3 वर्षों से लगातार इस बंजर भूमि को विनियमित क्षेत्र के अधिकारीगण आपसी मिलीभगत से अवैध ढंग से लोगों को कब्जा कराकर मकान बनवा दिये गये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रीमान् जी, इस भूमि को इधर-उधर करने में जहां फर्जी मुकदमों को दायर कर दीवानी के आदेश प्राप्त करने में इन अधिकारियों ने सहायता किया है वहीं यहां तक सत्यापित नहीं किया गया कि बंजर भूमि पर मुकदमा दायर कर फर्जी सुलह से जमीन का स्वामित्व कैसे प्राप्त किया गया है।

श्रीमान् जी, इस तरह की शिकायतें कई बार करने के बावजूद भी इस भूमि को पूर्णरूप से बेच दिया गया है जिससे राज्य सरकार को लाखों का जहां चूना लगाया गया है वहीं फर्जी तरीके से यह व्यापार अभी भी जोरों पर होने से अधिकारी कर्मचारी लूट में मशगूल हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर उक्त भूमि के फर्जी तरीके से किये गये स्थानान्तरण तथा इसमें लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच तथा अनियमित बने मकानों को सरकारी कब्जे में लेने की मांग करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 मार्च, 1998 को नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं...

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय सदस्यों का नाम पुकारने एवं उनके खड़े न होने पर)

नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन सभी को निरस्त किया जाता है।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998†

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की दशम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1983-84 ÷

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की दशम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1983-84 को उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रस्तर 118 (बी) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 27 जनवरी, 1998 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा

---

† छपा नहीं गया।

स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुना रहा हूं।

प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपके अ० शा० पत्र सं० 195/अविस/98. दिनांक फरवरी 11, 1998 के लिये धन्यवाद। आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। सादर।

रोमेश भण्डारी।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 1998 की बैठक में पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जनवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 1998 की बैठक में पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जनवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपरक) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का अनुपूरक) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 जनवरी, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1998 के बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ((निरसन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जनवरी, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जनवरी, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन्, 1998 का उत्तर प्रदेश छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 जनवरी, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन्, 1998 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जनवरी, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन्, 1998 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जनवरी, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जनवरी, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन्, 1998 का उत्तर प्रदेश नवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

अध्यक्ष महोदय, आप विरोध पक्ष के सदस्यों को सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं, आपको ईमानदारी का परिचय देना चाहिए, सदन में इस पर चर्चा करानी चाहिए ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1997 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 फरवरी, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन्, 1998 का उत्तर प्रदेश दसवां अधिनियम बन गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 1998 की बैठक में सदन के दिनांक 24 मार्च से दिनांक 26 मार्च, 1998 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 1998

24 मंगलवार	(1) निधन के निर्देश (प्रश्नों के उपरान्त) (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरः स्थापन आदि) यदि कोई हों । (3) 2.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1997–98 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण । (4) संगत नियमों को निलम्बित करते हुये वित्तीय वर्ष 1997–98 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (5) वित्तीय वर्ष 1998–99 के अन्तरिम आय-व्ययक सहित, उसके एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।
25 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998–99 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (2) विधायी कार्य
26 गुरुवार	विधायी कार्य ।

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिनकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998†

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 ††

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को 3.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

---

† दिनांक 28-3-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†† दिनांक 28-3-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(इसके बाद घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 को वापस लिये जाने की मांग

(क्रमागत)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित हो जाने से जितनी कार्यवाही हुई, उसे फिर से पारित करायें । जो 311 लिया था, उस पर फिर से चर्चा प्रारम्भ करायें ।

श्री अध्यक्ष–

जो काम हुआ है वह औपचारिक कार्य था ।

(व्यवधान)

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, 311 में इस पर चर्चा करायी जाय ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माम्यवर, लोकतंत्र की रक्षा के लिये यह नकल विरोधी अध्यादेश रूपी जो काला कानून बनाया जा रहा है, उसे वापस लिया जाय उस पर विधान सभा में चर्चा करायी जाय और उसके बाद जो निर्णय हो उससे सदन को अवगत कराया जाय । यह शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मान्यवर, यह शिक्षा पर कुठाराघात है, शिक्षकों पर छात्रों पर कुठाराघात है । इस तरह से एक पक्षीय अध्यादेश जारी करना न्याय संगत नहीं है । मान्यवर, इस सदन में इस पर चर्चा करायी जाय या इस विषय पर मतदान करा लिया जाय ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र अध्यक्ष आसन के निकट आ गये और वहां से बोलने का प्रयास करने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो वह शिक्षित नहीं है शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं है पहले अनुशासित होइये ।

(इसी मध्य डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री सुधाकर, श्री शिवपाल सिंह यादव आदि समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

कुछ माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये ।)

(डा० धर्मज्ञ मिश्र सदस्य के फ्लोर से कहने लगे कि यह अध्यादेश निन्दनीय है मान्यवर, इस निन्दनीय प्रश्न पर इस सदन में चर्चा करायी जाये ।)

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायें । जब विधेयक आयेगा तो अवसर मिलेगा ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र सदन के फ्लोर से कहने लगे कि कोई मामला ऐसा है जो जनहित में नहीं है तो उस पर पहले चर्चा करायी जाये ।)

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायें ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

(श्री सुधाकर सिंह को छोड़ कर समाजवादी पार्टी तथा विरोधी दलों के अन्य माननीय सदस्य जो सदन के वैल पर आये थे पुनः अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये । श्री सुधाकर सिंह सदन के वैल में बैठे रहे ।)

जब विधेयक आयेगा तो आप लोग उस समय अपनी बात कह सकते हैं ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग

श्री अध्यक्ष–

मैं अब मद संख्या 27 ले रहा हूं ।

(समाजवादी पार्टी के डा० धर्मज्ञ मिश्र, राम विशुन आजाद के साथ कई सदस्य एक साथ सदन के फ्लोर पर आ गये । अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये । जिससे अत्यधिक शोर होने लगा और व्यवधान हुआ । डा० धर्मज्ञ मिश्र रिपोर्टर्स की टेबल पर लगे साउन्ड बाक्सों को जोर-जोर से बजाने लगे ।)

यदि मद संख्या–27 पर कोई माननीय सदस्य अपना विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं । चूंकि कोई माननीय सदस्य अपने विचार नहीं रख रहा है, इसलिए मैं मद संख्या–27 ले रहा हूं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप अनुपूरक मांग रखें ।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 24,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 24,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (आद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (आद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 5,95,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 5,95,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 39,14,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 39,14,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान होने पर)

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 2,69,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 2,69,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 8,53,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 8,53,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 60,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 60,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी और बसपा के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर निरन्तर बने रहे और सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 15,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 15,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 1,57,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 1,57,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 को वापस लिए जाने की मांग (क्रमागत)

(सदन के वेल में विरोधी दल के अधिकतर मा० सदस्य नारे लगाने के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मा० धर्मज्ञ मिश्र जी आप शान्त हो जायें। अब बहुत हो गया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप कृपया चुप रहें।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र नारे लगाते रहे-छात्र विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी)

कृपया मिश्र जी आप अपना स्थगन ग्रहण करें। आप लोग अपना स्थान नहीं ग्रहण कर रहे हैं और व्यवधान पैदा कर रहे हैं इसलिए मुझे अब आप लोगों को इंगित करना पड़ेगा। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (मा० सदस्यों के व्यवधान करते रहने पर) अब मैं सदन की कार्यवाही 3:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं और संसदीय कार्यमंत्री कृपया सूची बना लें और जब मैं आऊंगा तो इंगित करूंगा।

(सदन की कार्यवाही 3:45 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(इसके बाद घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी 3 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है 4 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

नेता विरोधी दल, श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप चर्चा स्वीकार कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को सुनने और माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैंने नोटिस को अग्राह्य कर दिया है फिर भी मैंने कहा था, शोर के कारण न सुना हो, कि कल इस विधेयक पर चर्चा होगी । एक घंटे का समय चर्चा करने के लिये निर्धारित हुआ है उस समय अगर आवश्यकता होगी तो समय बढ़ा दिया जायगा । इस विषय पर, कल विधेयक पर चर्चा होगी उसमें आप अपनी बात कह लीजियेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

यह सरकार छात्रों, टीचर्स के संबंध में उदासीन है । चर्चा और गुप्त मतदान नहीं करवा रही है इसलिये हम सदन की आज की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री धनीराम वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन से चले गये ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस अध्यादेश के रूप में गरीब छात्रों को अपराधी बनाकर उनको शिक्षा से वंचित करने का जो नंगा खेल खेला जा रहा है इस गंदे कानून के खिलाफ हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस काले कानून के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमागत)

अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 48,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संकया 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 48,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस अध्यादेश के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस कानून के बारे में अगर बात नहीं हो सकती है तो मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल भी सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री प्रमोद कुमार भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामजग–

मान्यवर, इस काले कानून के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री रामजग भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 81,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 81,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,36,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,36,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलेपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,36,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,36,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,51,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संकया 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा)के अन्तर्गत 4,51,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,53, 15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,53,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 6,90,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 6,90,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 24,37,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 24,37,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 6,51,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 6,51,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 29,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 29,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,48,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,48,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 5,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 5,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 23,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 23,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 15,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 15,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,32,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,32,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 10,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 10,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 5,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 5,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 26,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 26,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 6,54,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 6,54,,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–60 वन विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 3,91,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 3,91,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 2,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 2,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,06,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,06,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 38,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 38,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 10,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 10,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवा योजन)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 47,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 47,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997–98 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्गों का कल्याण)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 3,12,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 3,12,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 21,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 21,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग राजस्व (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग राजस्व (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 5,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 5,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 8,54,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 8,54,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–95 उत्तराखण्ड विकास विभाग

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 15,70,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 15,70,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जाये ।

(माननीय सदस्यों को प्रतियां बांटी गयी)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 व खण्ड–3 अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1997–98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998

31 मार्च, 1998 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1997–98 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम 1998 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1997–98 के लिये 195,39,48,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1998 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 195,39,48,000 रुपये (एक सौ पंचानवे करोड, उन्तालिस लाख, अड़तालिस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ सेवायें और प्रयोजन क्र०सं०		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक हजार रुपयों में		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1 2		3	4	5
1 आबकारी विभाग	राजस्व	24.15	...	24.15
	पूंजी	...	...	...
3 उद्योग विभाग	राजस्व	...	...	...
(निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी	50.00	...	50.00
6 उद्योग विभाग	राजस्व	10.00	...	10.00
(हथकरघा उद्योग)	पूंजी	...	...	...
7 उद्योग विभाग	राजस्व	...	...	...
(भारी एवं मध्यम उद्योग)	पूंजी	2,00.00	...	2,00.00
10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	2.00	...	2.00
विभाग (औद्योगिक विकास)	पूंजी	...	...	...
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	1	...	1
विभाग (कृषि)	पूंजी	...	...	...
12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	5,95.66	...	5,95.66
विभाग (क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	...	...	...
13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	32,43.33	...	32,43,33
विभाग (ग्राम विकास)	पूंजी	6,71,57	...	6,71,57
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	2,69,90	...	2,69,90
विभाग (पंचायती राज)	पूंजी	...	...	...
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	5,82,56	...	5,82,56
विभाग (पशुधन)	पूंजी	2,71,20	...	2,71,20
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	60,51	...	60.51
विभाग (मत्स्य)	पूंजी	...	...	...
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	15,50	...	15,50
विभाग (सहकारिता)	पूंजी	...	...	...
21 खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	1,57,40	...	1,57,40
	पूंजी	...	...	...
22 खेल विभाग	राजस्व	...	...	...
	पूंजी	48.70	...	48.70

1	2		3	4	5
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	81.13	...	81.13
		पूंजी	2	...	2
31	चिकित्सा विभाग	राजस्व	2,36.60	...	2,36.60
	(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी	6.00.17	...	6.00.17
32	चिकित्सा विभाग	राजस्व	2,78.58	...	2,78.58
	(ऐलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी	57.91	...	57.91
33	चिकित्सा विभाग	राजस्व	6.13	...	6.13
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी	4,45.60	...	4,45.60
34	चिकित्सा विभाग	राजस्व	1	...	1
	(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी	4,53.14	...	4,53.14
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व	...	...	...
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी	6,90.79	...	6,90.79
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	24,37.50	...	24,37.50
		पूंजी	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व	6,51.83	...	6,51.83
		पूंजी	...	...	...
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	29.93	...	29.93
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	1,42.50	...	1,42.50
		पूंजी	5.99	...	5.99
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	5.38	...	5.38
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	23.52	...	23.52
50	राजस्व विभाग	राजस्व	15.01	...	15.01
	(जिला प्रशासन)	पूंजी	2	...	2
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2,32.12	...	2,32.12
		पूंजी	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	1	...	1
	(अनावसिक भवन)	पूंजी	10.01	...	10.01
57	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	...	...	...
	(कार्यात्मक भवन)	पूंजी	5.49	...	5.49

1	2		3	4	5
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	...	...	...
	(संचार साधन)	पूंजी	26,00,01	...	26,00,01
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	6,54,17	...	6,54,17
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी	...	...	...
60	वन विभाग	राजस्व	3,91,50	...	3,91,50
		पूंजी	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व	3,00	...	3,00
	(परीक्षा अल्प बचत आदि)	पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग	राजस्व	2,20	...	2,20
	(सामूहिक बीमा)	पूंजी	...	...	...
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	1,06,00	...	1,06,00
		पूंजी	...	...	...
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	...	...	...
	विभाग	पूंजी	38,00	...	38,00
71	शिक्षा विभाग	राजस्व	1	...	1
	(प्राथमिक शिक्षा)	पूंजी	...	...	...
72	शिक्षा विभाग	राजस्व	1	...	1
	(माध्यमिक शिक्षा)	पूंजी	10,51	...	10,51
76	श्रम विभाग	राजस्व	1,00,00	...	1,00,00
	(श्रम कल्याण)	पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग	राजस्व	...	...	...
	(सेवायोजन)	पूंजी	10,00	...	10,00
78	सचिवालय प्रशासन	राजस्व	47,05	...	47,05
	विभाग	पूंजी	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	...	...	...
	(अनुसूचित जातियों एवं	पूंजी	3,12,82	...	3,12,82
	पिछड़े वर्गों का कल्याण)				
86	सूचना विभाग	राजस्व	2,00,00	...	2,00,00
		पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	21,79	...	21,79
	(व्यापार-कर)	पूंजी	...	...	...

1	2		3	4	5
90	संस्थागत वित्त विभाग राजस्व	राजस्व	5.72	...	5.72
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	...	...	...
94	सिंचाई विभाग	राजस्व	37.00	...	37,00
	(निर्माण कार्य)	पूंजी	8.17.73	...	8.17.73
95	उत्तराखण्ड विकास	राजस्व	8.60.51	...	8.60.51
	विभाग	पूंजी	7.09.57	...	7.09.57
	योग ...	राजस्व	1.15.01.33	...	1.15.01.33
		पूंजी	80.38.15	...	80.38.15
	कुल योग ...		1.95.39.48	...	1.95.39.48

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1. प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए अंतरिम आय-व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1998-99 के अंतरिम आय-व्ययक को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अन्तरिम आय-व्ययक की प्रतियां बांटी जायं ।

(माननीय सदस्यों को प्रतियां बांटी गयीं)

मुख्य मंत्री जी, मद संख्या 32 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1998–99 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। यह अन्तरिम बजट है, जिसमें केवल बचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। माननीय सदस्यगण इस तथ्य से अवगत हैं कि विगत सितम्बर, 1997 में मेरी सरकार द्वारा सत्ता प्राप्त करने के तुरन्त बाद ही वित्तीय अनुशासन तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन की आवश्यकता का अनुभव करते हुये विकास की योजनाओं की ऐसी रूप रेखा पर बल दिया जा रहा है जिससे योजना में व्यय धन के मूल्य के सिद्धान्त का अक्षरशः पालन हो सके तथा इन योजनाओं की रचना व क्रियान्वयन हेतु ऐसी पद्धति अपनायी जा रही है जिससे योजनाओं का पूर्ण लाभ सामान्य जनता तक पहुंच सके। मेरी सरकार को खराब वित्तीय स्थिति विरासत में मिली है। लेकिन फिर भी वित्तीय अनुशासन में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप अवगत ही हैं कि हमारी सरकार द्वारा पैचलेस सड़क, नहर पटरियों पर सड़क निर्माण, पं० दीन दयाल उपाध्याय एवं डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्पर्क मार्ग योजनाओं पर बल दिया जा रहा है। माननीय सदस्य अवगत ही हैं कि 12वीं लोक सभा का गठन अभी प्रक्रिया में है।

केन्द्र सरकार का वर्ष 1998-99 का बजट भी अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है और केन्द्र सरकार के करों में कितनी धनराशि राज्य को मिलेगी यह ज्ञात नहीं हो सका है। योजना आयोग द्वारा वर्तमान वर्ष की योजना को भी अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है। अतः प्लान का आकार क्या है, ज्ञात नहीं है ? अगले वर्ष की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के संबंध में भी राज्य के बजट में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित जानकारी तभी उपलब्ध हो पायेगी, जब केन्द्र सरकार द्वारा अपने आगामी वर्ष के पूर्ण बजट को अन्तिम रूप दे दिया जाय। अतः सम्पूर्ण बजट इस समय प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया है। उपर्युक्त सभी मदों के संबंध में यथासंभव व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये तथा व्यय की नई मदों एवं नई योजनाओं को सम्मिलित करते हुये वर्ष 1998-99 का सम्पूर्ण बजट विस्तृत अनुमानों सहित यथा-समय बाद में प्रस्तुत किया जायेगा।

इस अन्तरिम बजट पर आधारित 4 महीने की अवधि का लेखानुदान भी भारत के संविधान की धारा 206 के अधीन उल्लिखित प्राविधानों का प्रयोग करते हुये प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ एक श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत है जिसमें इस सदन में माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आवश्यक सूचना का समावेश किया गया है।

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1998-99 में कुल 31038.02 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी जिसमें 22303.39 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां, 8406.61 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां तथा 328.02 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों की 22303.39 करोड़ रुपये की राशि में राज्य के अपने कर राजस्व से 9077.66 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व से 1564.51 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 8789.45 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 2871.77 करोड़ रुपये के अनुमान सम्मिलित हैं। लोक ऋणों से 8406.61 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्य 5470.84 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त 2935.77 करोड़ रुपये के ऋण सम्मिलित हैं। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और विकास की योजनाओं के लिये धन उपलब्ध कराने के लिये कर व करेतर राजस्व में वृद्धि के कदम उठाने होंगे।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के एक भाग के लिए लेखानुदान

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1998-99 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जायं।

(प्रतियां बांटी गयी)

बारहवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने पर विधान सभा के सदस्य श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री ओम प्रकाश, सुश्री मायावती, श्री मित्रसेन यादव, श्री पारस नाथ यादव तथा श्रीमती ओमवती द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य जो बारहवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुये हैं, ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र दे दिया है। जिन्हें मैंने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 190 के खण्ड–3 (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–279 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार विधान सभा में श्री रिजवान उर्फ रिज्जू भइया का स्थान दिनांक 10 मार्च, 1998 के अपराह्न से, श्री ओम प्रकाश का स्थान दिनांक 16 मार्च, 1998 के अपराह्न से, सुश्री मायावती का स्थान दिनांक 10 मार्च, 1998 के अपराह्न से, श्री मित्रसेन यादव का स्थान दिनांक 15 मार्च, 1998 के पूर्वाह्न से, श्री पारस नाथ यादव का स्थान दिनांक 15 मार्च, 1998 के पूर्वाह्न से तथा श्रीमती ओमवती देवी का स्थान दिनांक 14 मार्च, 1998 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 मार्च, 1998 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं–पहली सूचना श्री राम नरेश यादव की आजमगढ़ जनपद में 132 के०वी०ए० के विद्युत उप केन्द्रों फूलपुर एवं बूढ़नपुर में रुके निर्माणाधीन कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में है जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। अगली सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में वुडकार्विंग उद्योग एवं सम्बद्ध बैण्डसा ईकाइयों पर लोक प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। अगली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर में नगर निगम द्वारा क्लोरीन रहित दूषित पेयजल आपूर्ति से फैल रहे भयंकर पीलिया

तथा उल्टी दस्त के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। बाजपेई जी कृपया बैठ जायें, यह सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरठ में जो समस्या है, वह जनहित से जुड़ी हुई है, । वहां 45 ट्यूबवेल हैं ।1 ओवर हेड टैंक हैं, 3 अंडर वाटर रिर्जरवांयर हैं उन पर किसी में भी कोलोनीरेशन की व्यवस्था नहीं है । 45 जो ट्यूबवेल हैं उनमें डोजर की व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, वहां के अधिकारियों से कहा गया उन्होंने क्लोनीरेशन की व्यवस्था नहीं की, डोज खराब पड़े हुए हैं मान्यवर, इस में आप सरकार को तत्काल कार्यवाही का निर्देश दें। मैं यह पैकेट नमूने के तौर पर पानी का लाया हूं (श्री अध्यक्ष को एक डिब्बा दिखाते हुए) मेरठ में मान्यवर, टीम भेजकर पानी की जांच करायी जाय यह जो नमूने हैं इनको सदन के संज्ञान में लाता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप सेम्पुल जो लायें हैं वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को दिखा दीजिये।

संसदीय कार्य तथा पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें जांच के आदेश दे दिये गये हैं, जांच भी करायी जायेगी जो दोषी होंगे, कार्यवाही भी करायी जायेगी जो आपने कहा कि क्लोरीन कम है, सब को पूरा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश में पेयजल का स्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसी तरह से श्री मस्तराम, श्री कृपा शंकर सिंह, श्री बाबू लाल कुरील "एडवोकेट" की जनपद उन्नाव स्थित सोमानी आयरन स्टील लि० पर 41 करोड़ की बकाया धनराशि की वसूली में प्रयासरत अधिशासी अभियंता राजस्व श्री आई शेख का स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में है को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया गया है। अगली सूचना श्री रामजग की जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विकास खण्ड अन्तर्गत सिंहपुर धन्नी ग्राम में निर्माणाधीन पशु अस्पताल को अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर में विद्युत वितरण खण्ड जगदीशपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री लालजी वर्मा की टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युतनगर, टाण्डा अम्बेडकरनगर के ऐंश डेम मे पानी के रिसाव के कारण कतिपय ग्रामों के किसानों की भूमि के जलमग्न होने से हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अगली सूचना श्री विजयपाल सिंह की जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूरा किये जाने के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की प्रतापगढ़ शहर में गल्लामण्डी में हुये भीषण अग्निकाण्ड से हुयी क्षति से प्रभावित

व्यक्तियों को सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री छोटे लाल राजभर की जनपद मऊ के थाना हलधरपुर के ग्राम अरदौना निवासी श्री विजय कुमार राव की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा जनता का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया की उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मठ एवं ईमानदार अभियन्ताओं को स्थानान्तरित कर प्रताड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन में अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराये जाने के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

कल 11 बजे तक के लिये अब हम उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
24 मार्च, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 72 विधान सभा (100)-1998-813 (डी० टी० पी०) ।